कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 60 अंक: 06 अप्रैल 2014 मूल्य : ₹ 10

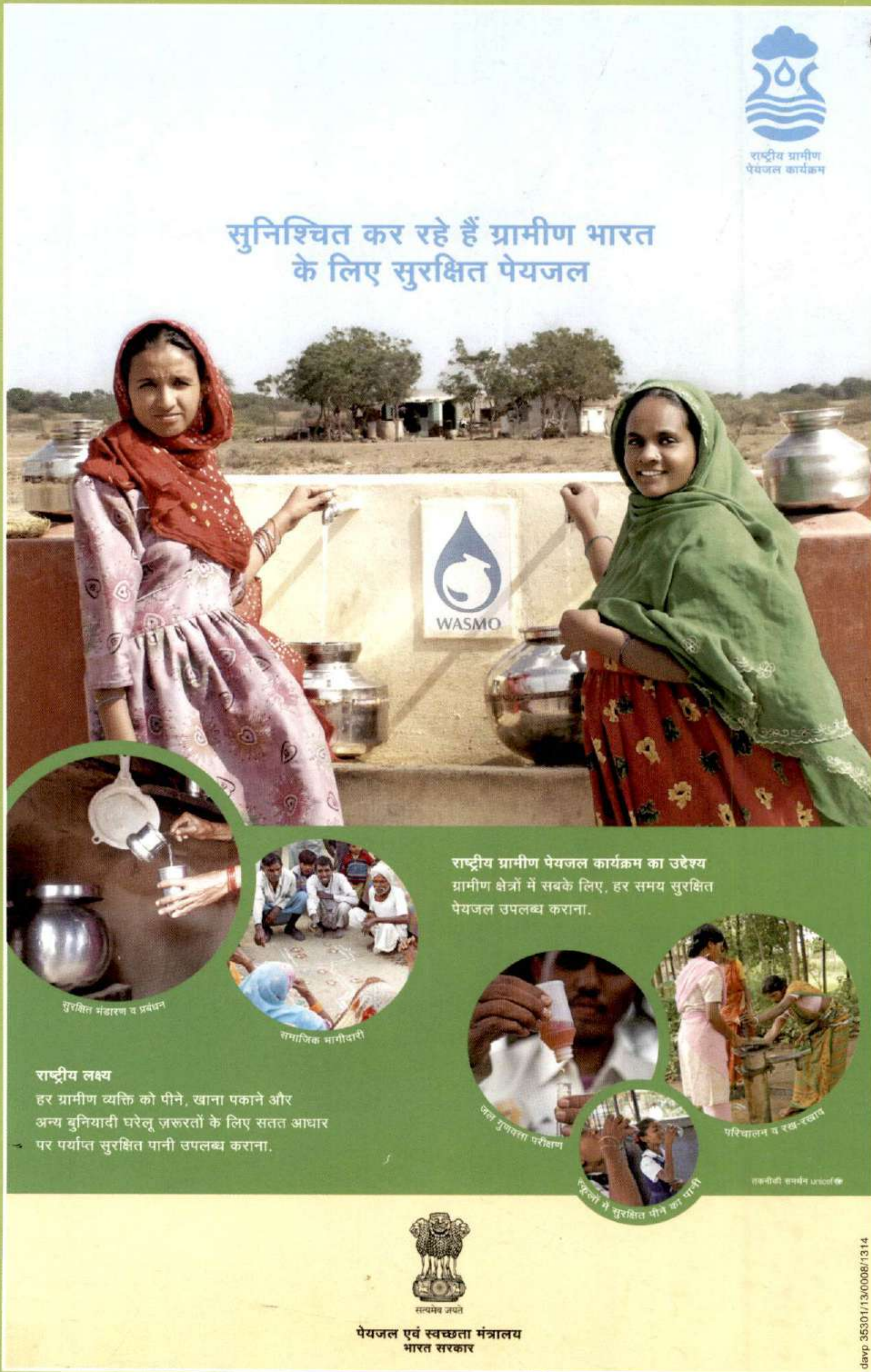
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
सुनिश्चित कर रहे हैं ग्रामीण भारत के लिए सुरक्षित पेयजल
WASMO
सुरक्षित भंडारण व प्रबंधन
सामाजिक भागीदारी
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों में सबके लिए, हर समय सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना.
राष्ट्रीय लक्ष्य
हर ग्रामीण व्यक्ति को पीने, खाना पकाने और अन्य बुनियादी घरेलू ज़रूरतों के लिए सतत आधार पर पर्याप्त सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना.
जल गुणवत्ता परीक्षण
स्कूलों में सुरक्षित पीने का पानी
परिचालन व रख-रखाव
तकनीकी समर्थन unicef
सत्यमेव जयते
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
भारत सरकार
davp 35301/13/0008/1314

KH-292/2013

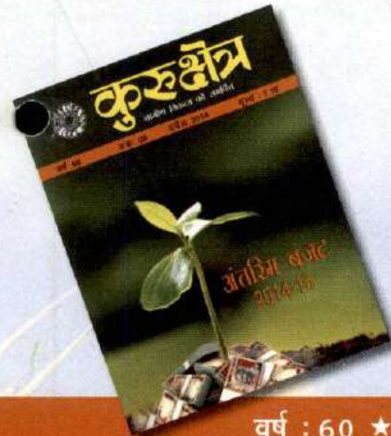

कुरुक्षेत्र

वर्ष : 60 ★ मासिक अंक : 06 ★ पृष्ठ : 48 ★ चैत्र–वैशाख 1936 ★ अप्रैल 2014

प्रधान संपादक
राजेश कुमार झा
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 011–26100207, फैक्स : 26100207
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
संजीव कुमार साणू

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

अंतरिम बजट में खेती-किसानी का रखा पूरा ध्यान — मनोज श्रीवास्तव — 3

अंतरिम बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान — अखिलेश चंद्र — 7

ग्रामीण विकास एवं युवा शक्ति को समर्पित अंतरिम बजट — प्रो. के. एम. मोदी — 11

गांवों के सर्वांगीण विकास हेतु अंतरिम बजट — सबिता कुमारी — 15

अंतरिम रेल बजट में हर क्षेत्र को रेल सेवा से जोड़ने का प्रयास — धनजी चौरसिया — 20

मनरेगा का हरियाणा में सफल क्रियान्वयन — डॉ. राजकुमार सिवाच एवं सुनील कुमार — 24

राजस्थान में खजूर की खेती — मनोहर कुमार जोशी — 31

खारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने की संभावनाएं — हरनारायण मीना — 35

पौष्टिकता से भरपूर कटहल — साधना यादव — 41

धान उत्पादन में विश्व रिकार्ड बनाया — नवनीत रंजन — 45

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

केंद्रीय वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने 17 फरवरी, 2014 को अंतरिम बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने भरोसा जताया कि अगले तीन दशकों में अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण विकास पर जोर दिया है। निश्चित रूप से केन्द्र सरकार के हर बजट में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता मिलती रही है। अंतरिम बजट में भी इस तरह के मुकम्मल प्रावधान किए गए हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो।

वित्तमंत्री ने अंतरिम बजट में ग्रामीण विकास हेतु 82,202 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। गांवों के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, शिक्षा सहित वे तमाम प्रावधान इस बार के बजट में किए गए हैं जिससे ग्रामीण विकास को गति मिल सके। ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका सबसे अहम होती है। वित्तमंत्री ने इस वर्ष पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु कुल 2355.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

गांवों में विकास की धुरी सड़कें होती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव को सड़क से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। चूंकि गांवों को सड़कों से जोड़ने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई है। यही वजह है कि मौजूदा अंतरिम बजट में सड़क निर्माण हेतु सरकार की ओर से 1387.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल, 2005 को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को वहनीय और विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु की गई थी। इस कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मिशन के लक्ष्यों में शिशु मृत्युदर 30/1000 जीवित जन्म से नीचे लाना और मातृ मृत्युदर 100/ प्रति एक लाख से नीचे लाना आदि सम्मिलित हैं। इस वर्ष के अंतरिम बजट में सरकार द्वारा स्वास्थ्य हेतु कुल 2411.78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा विकास की कुंजी होती है। इसी के मद्देनजर सरकार की ओर से ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में सुधार और साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें सर्वशिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्यान्ह भोजन योजना आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वित्तमंत्री ने अपने अंतरिम बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए 12257.61 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

अंतरिम बजट में किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है। किसानों को कृषि ऋण पर मिलने वाली 2 फीसदी ब्याज छूट और समय से भुगतान करने पर 3 फीसदी प्रोत्साहन आगे भी जारी रहेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि चालू वित्तवर्ष में बैंक 7 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण को पार कर जाएंगे। इस साल कृषि ऋण 7.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। इसीलिए वित्तमंत्री ने 2014–15 के लिए 8 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। किसान ऋणपत्रों (केसीसी) को स्मार्ट कार्ड में बदला जा रहा है ताकि वे एटीएम का लाभ उठा सकें। बजट में दूध व ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई है। चावल के स्टोरेज और पैकेजिंग से सर्विस टैक्स हटा दिया गया है।

अंतरिम बजट में वित्तमंत्री ने युवा शक्ति को चुनौती नहीं अवसर करार देते हुए 31 मार्च, 2009 तक लिए गए और 31 दिसंबर, 2013 तक बकाया सभी शिक्षा ऋणों पर ब्याज में छूट का प्रावधान करके युवाओं के लिए शिक्षा का मार्ग सुलभ किया है। लेकिन एक जनवरी, 2014 से उन्हें ब्याज खुद भरना होगा। इस प्रावधान से नौ लाख विद्यार्थियों को 2600 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2013 तक सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में 25.70 लाख विद्यार्थियों के ऋण संबंधी मामले थे जिन पर 57.7 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं जिसे चुकाने का जिम्मा सरकार ने उठाया है। निश्चित रूप से शिक्षा ऋणों पर ब्याज में छूट व स्कॉलरशिप के बलबूते पर ग्रामीण गरीब बच्चे पढ़कर विकास की राह पर अग्रसर हो सकेंगे।

वित्तमंत्री ने "आधार" को सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन मानते हुए "आधार" योजना को पूरी तरह से लागू करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। महिला सुरक्षा पर मंडराते खतरे को कम करने के लिए बजट में 'निर्भया निधि' में 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। ग्रामीण विकास में स्वयंसहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष जोर दिया जाएगा चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से ही विकास को गति मिलेगी।

अंतरिम बजट में खेती-किसानी का रखा पूरा ध्यान

मनोज श्रीवास्तव

केन्द्र सरकार का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सस्ते कर्ज को किसानों का जीवन संवारने का आधार बनाया है। वैसे भी केंद्र सरकार की ओर से खेती-किसानी को हमेशा बढ़ावा देने की कोशिश की गई। कृषि क्षेत्र सरकार के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र पहले भी रहा है और भविष्य में भी बना रहेगा।

भारत की स्थिति देखें तो कृषि क्षेत्र 58.2 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है। भारत के निर्यात क्षेत्र में कृषि का हिस्सा 2011–12 के 12.81 प्रतिशत से बढ़कर 2012–13 में 13.08 प्रतिशत हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी वर्ष 2012 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के कृषि खाद्य उत्पाद निर्यात में भारत का हिस्सा 2.1 प्रतिशत है। इतना ही नहीं भारत दूध, दलहन, पशुधन, पटसन, पटसन जैसा रेशा, चाय और फूलगोभी का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ ही गेहूं चावल, फल, गन्ना, मूंगफली और तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार खेती की अनदेखी नहीं कर सकती है। यही वजह है कि अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया।

वित्तमंत्री ने किसानों की चिंता जताते हुए ऐलान किया कि कृषि ऋण पर मिलने वाली 2 फीसदी ब्याज छूट और समय से भुगतान करने पर 3 फीसदी प्रोत्साहन आगे भी जारी रहेगा। ध्यान रहे कि यह व्यवस्था साल 2012–13 में शुरू की गई थी। उस समय वित्तमंत्री ने कृषि के लिए सस्ते कर्ज का लक्ष्य बढ़ाने का प्रावधान करते हुए कृषि कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाकर 5.75 लाख करोड़ रुपये कर दिया था। साथ ही समय से ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट का ऐलान किया था। सरकार की मंशा है कि जब सरकार की ओर से सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तो किसान साहूकार के चंगुल से अपने आप मुक्त हो जाएगा। वे अपनी जरूरत के हिसाब से नगद पैसे का भुगतान करके गुणवत्तापरक खाद–बीज व अन्य संसाधन जुटा सकेगा।

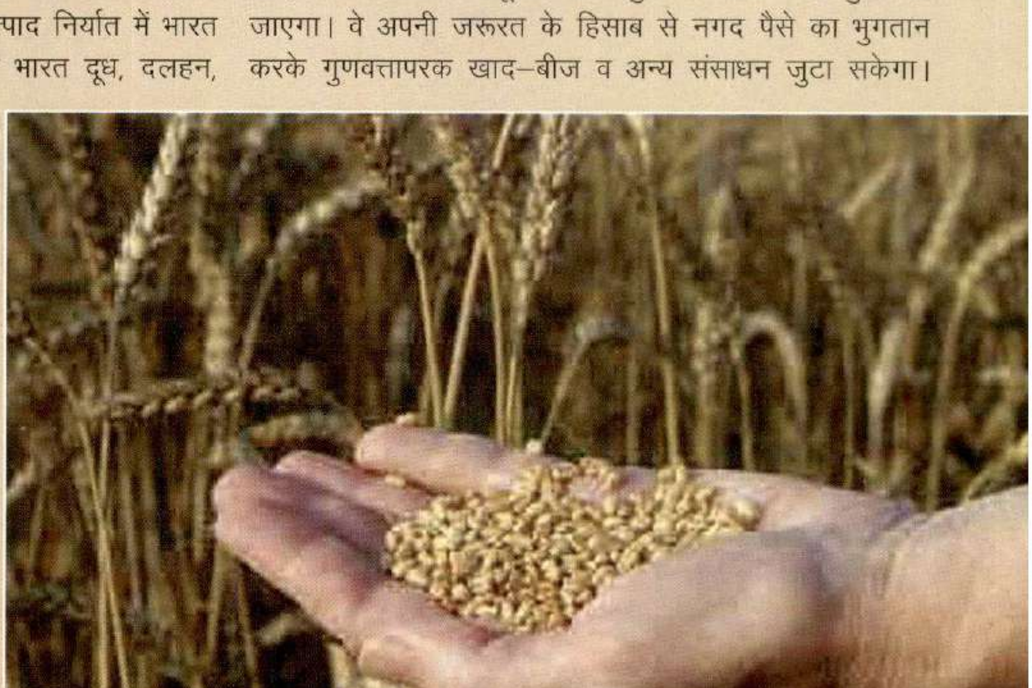

इसी मंशा के तहत इस प्रावधान को चालू वित्तीय साल में भी बढ़ा दिया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि चालू वित्तवर्ष में बैंक 7 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण को पार कर जाएंगे। इस साल कृषि ऋण 7.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। इसलिए वित्तवर्ष 2014–15 के लिए उन्होंने 8 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है।

कृषि ऋण का स्तर 2011–12 में 5,11,029 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जबकि लक्ष्य 4,75,000 करोड़ रुपये था। यह 2003–04 में 86,981 करोड़ रुपये था। कृषि ऋण का 2012–13 के लिए लक्ष्य 5,75,000 करोड़ रुपये रखा गया था, जबकि आलोच्य वर्ष के दौरान 6,07,375 करोड़ रुपये की उपलब्धि रही है। वर्ष 2013–14 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 7,00,000 करोड़ रुपये रखा गया है। इनमें से 309.28 लाख किसान छोटे और अधिक छोटे थे। किसान ऋणपत्रों (केसीसी) को स्मार्ट पत्रों में बदला जा रहा है ताकि वे एटीएम का लाभ उठा सकें। 31 मार्च, 2013 को देश में 12.03 करोड़ रुपये के किसान ऋण पत्र सक्रिय थे।

बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास उत्पादकता बढ़ाने की जरुरत पड़ेगी। इसके लिए कृषि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय खोजों पर अभी से ध्यान देना होगा। हमें पौध और बीज की ऐसी किस्मों का विकास करना होगा, जिससे उपज बढ़े और उनमें जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधक क्षमता भी हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक ओर जहां देश की जीडीपी ग्रोथ घटकर 4.9 फीसदी पर आ गई है, वहीं वित्तमंत्री ने कृषि क्षेत्र में 4.6 फीसदी की विकास दर का भरोसा जताया है। वित्तमंत्री श्री चिदंबरम ने कहा कि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद विकास 2004–09 की अवधि के दौरान 3.1 प्रतिशत रहा। इसके बाद यूपीए–2 के पहले चार वर्षों के दौरान 4 प्रतिशत हो गया। वर्तमान वर्ष में कृषि के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 4.6 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद है। वित्तमंत्री ने सदन को बताया कि 2013–14 में कृषि निर्यात 45 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है जो 2012–13 में 41 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

अभी तक जो किसान केसीके से वंचित थे अब वे किसान भी क्रेडिटधारी हो जाएंगे। इस तरह सरकार के इस प्रयास से शत–प्रतिशत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना भी पूरी हो जाएगी। छोटी होती जोत की समस्या से निपटने की कारगर पहल भी की गई है। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक तमाम निजी बैंक कृषि ऋण नहीं देते थे। अब फसल ऋण पर ब्याज छूट का दायरा निजी और वाणिज्यिक बैंकों तक बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कृषि ऋण का होता है।

श्री चिदंबरम ने चालू वित्तवर्ष में खाद्यान्न के रिकॉर्ड 26.3 करोड़ टन उत्पादन को सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया है। कृषि निर्यात भी वर्ष 2013–14 में 45 अरब डॉलर को पार करने का अनुमान है, जबकि कृषि आयात इसके आधे से भी कम है। उन्होंने कहा कि दलहन ग्राम विकास, पोषक अनाज, चारा विकास कार्यक्रम को धान, गेहूं, दलहन, ज्वार और बाजरा उत्पादकता वाली सभी योजनाओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल कर दिया गया है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए आम बजट में अनुसंधान व विकास के साथ प्रसार पर खास जोर दिया गया है। वास्तव में कृषि विकास के उपायों से किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति रुकेगी और खेती को घाटे का सौदा मानने वाले भी इससे एक बार फिर जुड़ सकेंगे। दूसरी तरफ यदि कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति घटेगी और इसका लाभ आम आदमी को भी मिलेगा।

सच्चाई तो यह है कि बजट में जिस तरह से प्रावधान किए गए हैं, इसकी उम्मीद बहुत कम थी। अंतरिम बजट होने के बाद भी केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। इस बजट ने साबित कर दिया कि केंद्र सरकार खेती और किसानों को लेकर पूरी तरह गंभीर है क्योंकि इस बार बजट से पहले किसानों की समस्याओं को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। कृषि क्षेत्र के लिए बजट का आवंटन एक चुनौती के रूप में लिया जा रहा था।

आशंका जताई जा रही थी कि यदि इस बार भी कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया तो महंगाई की मार और पड़ सकती है। सबसे ज्यादा चिंता खाद्यान्न उत्पादन को लेकर थी। हालात के मद्देनजर कृषि विशेषज्ञों की भी निगाह वित्तमंत्री पर टिकी थी, लेकिन वित्तमंत्री ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए बजट में भरपूर इंतजाम किया। वास्तव में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ गया है और राज्यों को नई योजनाओं के साथ आने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के लिए ऋण की राशि वर्ष–दर–वर्ष बढ़ाई जा रही है। बेहतर किस्म के बीज और उर्वरक सुनिश्चित करने के लिए बड़ी फसलों का मौसम शुरू होने के समय अपनाई गई नीतियों के अच्छे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। फसल विशेष के लिए समयबद्ध उपाय किए गए हैं और उच्चतर पैदावार की क्षमता वाले नए क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं।

चावल के स्टोरेज और पैकेजिंग से सर्विस टैक्स हटा दिया गया है। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि जितना धान पूरे देश में पैदा हुआ उसका आधा हिस्सा अकेले पूर्वी राज्यों के किसानों ने पैदा कर दिखाया है। धान के उत्पादन में आई बढ़ोत्तरी की वजह किसानों की मेहनत है। इसके साथ ही सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं काफी सहायक सिद्ध हुई हैं। किसानों एवं कारोबारियों को धान की खेती के प्रति अधिक प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने चावल कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग लोडिंग–अनलोडिंग को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। इससे ब्रांडेड चावल की महंगाई में कमी आ सकती है। व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए फल–सब्जियों पर भी इसी प्रकार की छूट को जरूरी बताया है। इस फैसले से राइस मिलों और चावल के स्टोरेज और रिटेलिंग से जुड़े कारोबारियों को लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में खासी बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते वर्ष 2013–14 में अनाज का उत्पादन 25 करोड़ टन से ज्यादा होगा। किसानों को बाजार से संबध करने के लिए कृषि उत्पादक कंपनियों और कृषि उत्पादक संगठनों को 10 लाख तक की इक्विटी एवं लघु किसान कारोबारी निगम के लिए 100 करोड़ का गारंटी फंड किसान संगठनों एवं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सुधार पर दिया गया है।

8 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य

वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2014–15 के लिए 8 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारित 7 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य पार कर लिया जाएगा। इस स्कीम के तहत अब तक 23,924 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इससे पहले वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित 5,75,000 करोड़ रुपये रखा गया था। वित्तमंत्री ने कहा कि लघु अवधि के लिए फसली ऋणों के लिए ब्याज माफी योजना जारी रहेगी। समय पर ऋणों का भुगतान करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से ऋण प्रदान किए जाएंगे।

रोजगार सृजन पर ध्यान

वित्तमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाए तथा एक दशक में 10 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएं। ऐसी स्थिति में बजट में किए गए प्रावधानों से कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पिछले बजट में घोषित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सीमांत किसानों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वित्त निधि की स्थापना करने की बात पर प्रतिबद्धता जताई गई है। इसका फायदा किसानों को मिलेगा। इसी तरह भारत में स्थित कृषि संस्थान किसानों के लिए नई–नई तकनीक ला रहे हैं तो देश के लिए नए कृषि वैज्ञानिक भी पैदा कर रहे हैं। भविष्य में कृषि को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने पर भी वित्तमंत्री ने जोर दिया है। यह अलग बात है कि इस बार के अंतरिम बजट में कृषि विश्वविद्यालयों के लिए अलग से प्रावधान करते हुए बजट आवंटित नहीं किया गया है, लेकिन वित्तमंत्री का इस पर जोर है। बता दें कि पिछले साल के बजट में केरल कृषि विश्वविद्यालय को सौ करोड़ रुपये, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़, कर्नाटक को

50 करोड़, हिसार कृषि विश्वविद्यालय को 50 करोड़, ओडीसा कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 50 करोड़, आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय को सौ करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया था।

पूर्ववर्ती वर्षों का कृषि बजट	
वर्ष 2010–11	700 करोड़ रुपये
वर्ष 2011–12	1500 करोड़ रुपये
वर्ष 2012–13	20208 करोड़ रुपये
वर्ष 2013–14	27049 करोड़ रुपये

उत्पादन बढ़ने की उम्मीद

वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने वर्ष 2014–15 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि चालू वित्तवर्ष में देश में अब 263 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हो रहा है जो 2012–13 के 255.36 मिलियन टन से बहुत अधिक है। वित्तमंत्री ने कहा कि गन्ने, कपास, दलहन, तिलहन और गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन भी नए रिकार्ड तक पहुंचने की उम्मीद है। उत्पादन बढ़ाना सरकार की प्रमुख चिंता इस वजह से भी है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट में कहा जा चुका है कि वर्ष 2050 तक दुनिया की कुल आबादी करीब 9.1 अरब के आंकड़े तक पहुंच सकती है। अभी विश्व की कुल जनसंख्या करीब 6.8 अरब है। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही खाद्य पदार्थों की मांग करीब दुगुनी हो जाएगी। खासकर विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से खपत भी बढ़ने की उम्मीद है। इनमें चीन और भारत मुख्य रूप से शामिल हैं। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक जलवायु परिवर्तन, कृषि योग्य भूमि में कमी, जलसंकट आदि के चलते 2050 तक करीब 35 फीसदी खाद्यान्न का उत्पादन कम होने की आशंका है। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमि का रकबा भी घट रहा है। भारत में भी उद्योगों के विकास और आवासीय परियोजनाओं के लिए खेती की जमीन के उपयोग के चलते पिछले दो दशक में कृषि योग्य भूमि करीब दो फीसदी तक घट गई है। बजट से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इन आशंकाओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार अभी से सचेत हो गई है। विभिन्न प्रावधानों के जरिए कम रकबे में अधिक उत्पादन की रणनीति अपनाई जा रही है।

बजट बढ़ा तो बढ़ने लगा उत्पादन

केंद्र सरकार की ओर से लगातार उत्पादन बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रावधानों का असर भी दिखाई पड़ रहा है। देश में उत्पादन की स्थिति देखें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल खाद्यान्न उत्पादन 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के मुकाबले अधिक हुआ है जो 173.38 मिलियन से अधिक बढ़ गया। उत्पादन का यह लक्ष्य देश के कुछ भागों में 2009–10 और 2010–11 वर्षों में सूखा पड़ने के बावजूद प्राप्त किया गया है। साल 2013–14 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 259 मिलियन टन है। 2013–14 के दौरान गेहूं 92.50 मिलियन टन और चावल का उत्पादन 105 मिलियन टन है। वर्ष 2012–13 के दौरान दलहन का उत्पादन चौथे अग्रिम आकलन के अनुसार 18.45 मिलियन टन रिकॉर्ड स्तर पर है। 2013–14 के लिए लक्ष्य 19 मिलियन टन है। भारत में रूई का उत्पादन एक वर्ष की अवधि में 3.5 गुना बढ़ा है और यह 2011–12 में 35.20 मिलियन गांठों के स्तर पर पहुंच गया है। प्रथम अग्रिम आंकलन के अनुसार 2013–14 में रूई का 35.30 मिलियन गांठों का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। इसी तरह गन्ने का 2013–14 में उत्पादन प्रथम अग्रिम आंकलन के अनुसार 341.77 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि लक्ष्य 340 मिलियन टन रखा गया है। सीएसओ के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्र 2012–13 के दौरान 1.9 प्रतिशत बढ़े। हाल के वर्षों में फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 के दौरान फलों का उत्पादन 77.7 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि उससे पिछले वर्ष यह 76.4 मिलियन टन हुआ था। वर्ष 2012–13 के दौरान सब्जियों का उत्पादन 159.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष 156.3 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। फलों और सब्जियों की उपलब्धता 2012 में बढ़कर क्रमशः लगभग 174 ग्राम और 346 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है।

(लेखक कृषि विभाग से जुड़े हैं।)
ई–मेल : manojshriwastav1982@yahoo.in

• अंतरिम बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान

अखिलेश चंद्र

ग्रामीण विकास को गति देने के लिए वित्तमंत्री ने अंतरिम बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 82202 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसी तरह ग्रामीण विकास के अन्य सहयोगी विभागों मसलन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को 15260 करोड़ रुपये एवं पंचायती राज को 7000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इससे साफ है कि सरकार ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।

वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने अंतरिम बजट पेश करते हुए भरोसा जताया है कि अगले तीन दशक में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण विकास पर जोर दिया है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार के हर बजट में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता मिलती रही है। अंतरिम बजट में भी इस तरह से मुकम्मल प्रावधान किए गए हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंख लगे। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी कानून के तहत 18.80 लाख हेक्टेयर जमीन के 128 लाख मालिकाना हक प्रदान किए। भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे का अधिकार तथा पारदर्शिता, सहायता तथा पुनर्वास कानून अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया गया।

बजट के दौरान वित्तमंत्री ने साफ कहा कि राजकोषीय घाटा

कम हो रहा है, चालू खाता घाटा (सीएडी) नियंत्रण में है, महंगाई में नरमी है, तिमाही विकास दर बढ़ रही है, रुपये में स्थिरता है, निर्यात बढ़ रहा है और सैंकड़ों अटकी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। वित्तमंत्री ने कहा कि चालू वित्तवर्ष के दौरान कुल खर्चों में करीब 75,000 करोड़ रुपये की कटौती का विकास दर पर कुछ खास असर नहीं होगा। अभी वित्तवर्ष 2013–14 के लिए 15.9 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है। अंतरिम बजट में वित्तमंत्री ने खाद्य, उर्वरक और ईंधन के लिए सब्सिडी पर 2,46,397 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने वर्ष 2014–15 के केंद्रीय अंतरिम बजट में 5,55,322 करोड़ रुपये के योजना व्यय और 12,07,892 करोड़ रुपए के अनुमानित गैर–योजना व्यय का प्रावधान किया है। वर्ष 2014–15 में वित्तीय घाटा 4.1 फीसदी और राजस्व घाटा 3 फीसदी रहने का अनुमान है।

सरकार ने परियोजना स्वीकृति की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जनवरी, 2014 के अंत तक 6,60,000 करोड़ रुपये की 296 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। निश्चित रूप से ये परियोजनाएं ग्रामीण विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगी। वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंतरिम बजट भाषण में साफतौर पर कहा कि सरकार का जोर बुनियादी उद्योगों, बुनियादी ढांचों को विकसित करने पर है। इसमें ग्रामीण ढांचे पर खास जोर है। ऐसी स्थिति में सरकार की मंशा साफ है। वर्ष 2012–13 और वर्तमान वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में सरकार के कामकाज पर गौर करें तो भी ग्रामीण विकास की ओर झुकाव साफ नजर आता है। सरकार ने पिछले वित्तीय साल में विद्युत क्षमता में 29,350 मेगावाट, राष्ट्रीय राजमार्गों में 3,928 किलोमीटर के साथ ही पीएमजीवाईएस के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों में 39,144 किलोमीटर सड़कों का विकास किया। इस बार ग्रामीण विकास मंत्रालय को 82202 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि पेयजल एवं स्वच्छता पर 15260 करोड़ रुपये खर्च किया जाना है।

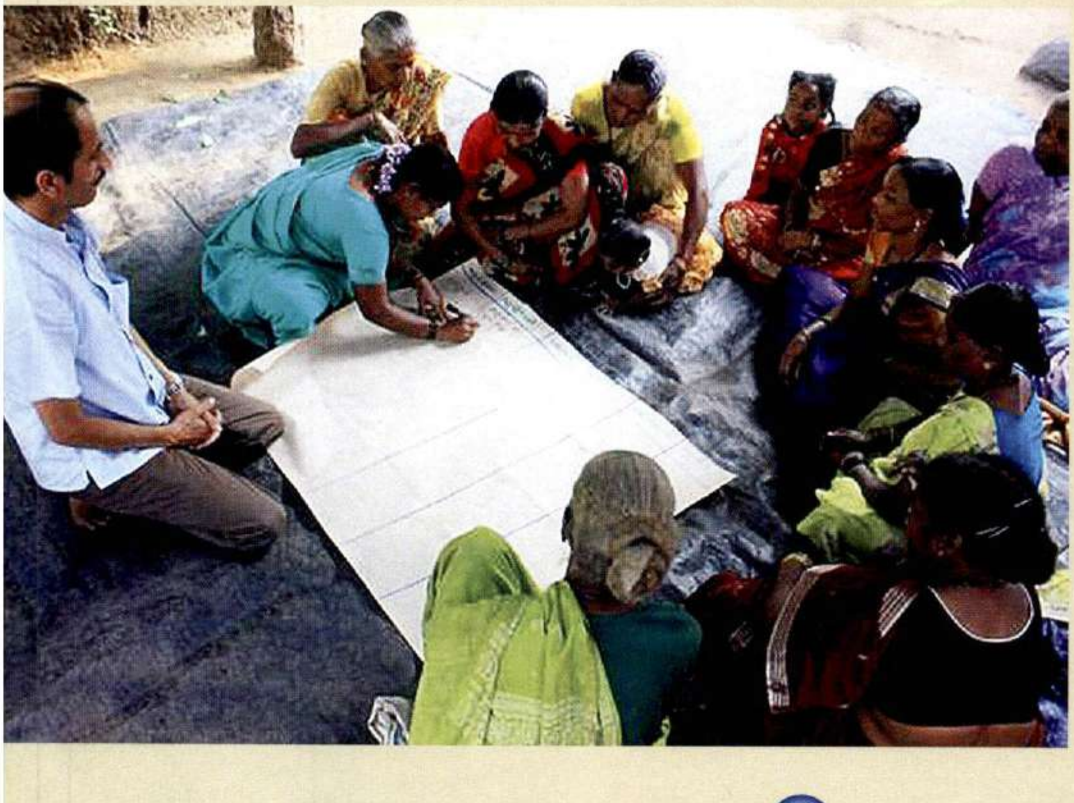

इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर

वित्तमंत्री ने 2014–15 का अंतरिम बजट पेश करते हुए यह बताया कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर विशेष जोर दिया है और यह सरकार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। निश्चित रूप से जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो विकास को गति मिलेगी। इसके लिए बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के साथ–साथ रेल ट्रैक, बंदरगाह, सड़क एवं हाइवे का तेजी से विस्तार किया गया। अटकी बड़ी परियोजनाओं को त्वरित मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इनवेस्टमेंट (सीसीआई) का गठन किया गया, जो अब तक करीब 6.60 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। वित्तवर्ष 2012–13 और चालू वित्तवर्ष 2013–14 के पहले नौ महीने में 29,350 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता, 3,928 किमी. के राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 39,144 कि.मी. की ग्रामीण सड़कें, 3,343 किमी. के नए रेल ट्रैक और बंदरगाहों में प्रति वर्ष 21.75 करोड़ टन की क्षमता जोड़ी है। गौरतलब है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को 10 खरब डॉलर की जरूरत होगी।

आधार से सशक्तिकरण

बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री चिदंबरम ने सरकार द्वारा शुरू की गई कैश ट्रांसफर योजना और आधार के फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि आधार सशक्तिकरण का एक कारगर साधन है, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा वंचितों को है। 3370 करोड़ रुपये की राशि 2.1 करोड़ एलपीजी ग्राहकों को ट्रांसफर की गई है। 57 करोड़ आधार नंबर जारी किए गए हैं।

एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट

शहरी इलाके के साथ ही अब ग्रामीण इलाके के ज्यादातर छात्र– छात्राएं प्रोफेशनल कोर्स की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन पैसे के अभाव में चाह कर भी अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में एजुकेशन लोन पर टैक्स में छूट का प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। बजट में प्रावधान किया गया है कि जिन छात्रों ने 31 मार्च, 2009 से पहले पढ़ाई के लिए लोन लिया है, बजट में उनके साथ टैक्स छूट में भेदभाव को दूर करने की कोशिश की गई है। इन छात्रों के बदले 31 दिसंबर, 2013 तक का ब्याज सरकार देगी, लेकिन 1 जनवरी 2014 से ब्याज खुद भरना होगा। इससे 9 लाख छात्रों को फायदा होगा।

उत्पाद शुल्क में छूट

विभिन्न तरह से उत्पाद शुल्क में छूट दिए जाने से अब सुख–सुविधा के वे सामान भी गांवों में पहुंच सकेंगे, जो अभी तक शहरों तक सीमित थे। बजट में कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डयूरेबल्स पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर 12 से 10 फीसदी की गई है। महंगे ईंधन, ऊंची ब्याज और आर्थिक सुस्ती की मार झेल रहे वाहन उद्योग के कई कारोबारी खंडों पर एक्साइज डयूटी घटाई गई है। छोटी कारों और दुपहिया वाहनों पर एक्साइज डयूटी 12 फीसदी से घटाकर आठ फीसदी कर दी गई है। एसयूवी पर एक्साइज डयूटी भी 30 फीसदी से घटाकर 24 फीसदी कर दी गई है। मध्य श्रेणी की सेडान कारों के लिए भी इसे 27–24 फीसदी से घटाकर क्रमशः 24–20 फीसदी कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र को भी राहत देते हुए एक्साइज डयूटी घटाई गई है। मोबाइल हैंडसेट के घरेलू उत्पादन के लिए एक्साइज डयूटी घटाकर 6 पर्सेंट की गई है। निश्चित रूप से कारों के दाम में गिरावट के साथ ही मोबाइल के दाम भी घटेंगे। ऐसे में ग्रामीण इलाके के लोग भी भौतिक सुख–समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएंगे।

नकद एलपीजी सब्सिडी योजना

रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना भले ही गरीबों और मध्यम वर्ग को लुभाने में असफल रही है लेकिन केंद्र सरकार के लिए अहम सवाल बन चुकी इस योजना से फिलहाल किनारा नहीं किया जाएगा। एलपीजी उपभोक्ताओं के खाते में नकद सब्सिडी भेजने की योजना से जुड़ी समस्याओं को दूर कर इसे फिर से चालू किया जाएगा।

स्वास्थ्य योजनाओं का विकास

शहरों में उच्च गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं लेकिन ग्रामीण इलाके अभी भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा से प्रभावित हैं। ऐसे में वित्तमंत्री की ओर से ग्रामीण इलाके को स्वास्थ्य सेवा में बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने अंतरिम बजट में उदारता दिखाई है। इसमें इस मद में 34,663 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है, जबकि चालू वर्ष का बजट 27531 करोड़ रुपये का है। वित्तमंत्री ने पिछले बजट की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए अच्छी राशि का आवंटन किया है। अंतरिम बजट में शिक्षा, अनुसंधान, नए अस्पतालों के निर्माण, ढांचागत सुविधाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में सीजीएचएस औषधालयों की स्थापना के लिए 839.92 करोड़, वृद्धों की स्वास्थ्य योजना के लिए 157 करोड़, एड्स नियंत्रण के लिए 1785 करोड़, अनुसंधान के लिए 1017.67 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अनुसंधान पर खर्च में शानदार 20 फीसदी की वृद्धि की गई है।

ग्रामीण विकास से जुड़े प्रमुख विभागों को जारी बजट	
ग्रामीण विकास मंत्रालय	82202 करोड़ रुपये
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	15260 करोड़ रुपये
पंचायती राज मंत्रालय	7000 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	33725 करोड़ रुपये
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	21000 करोड़ रुपये
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	6730 करोड़ रुपये
आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय	6000 करोड़ रुपये
जनजातीय कार्य मंत्रालय	4379 करोड़ रुपये
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय	3711 करोड़ रुपये

ग्रामीण विकास को स्वयंसहायता समूह का बढ़ावा

ग्रामीण विकास में स्वयंसहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। बजट के दौरान वित्तमंत्री ने साफ कहा कि दिसंबर 2013 के अंत तक 41 लाख से अधिक महिला स्वयं–सहायता समूहों को ऋण दिए गए। 10 वर्ष पहले केवल 9,71,182 स्वयंसहायता समूहों को ऋणों के लिए बैंकों से जोड़ा गया था। दिसंबर 2013 के अंत में 41,16,000 महिला स्वयंसहायता समूहों को ऋण दिया गया तथा बकाया ऋण राशि 36,893 करोड़ रुपये थी। सार्वजनिक क्षेत्र की गैर–जीवन बीमा कंपनियों ने 10,000 अथवा उससे ज्यादा की जनसंख्या वाले कस्बों में 1,849 कार्यालय खोले। इसी तरह अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए आईएफसीआई रियायती वित्त उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि स्थापित करेगा। इस निधि की अनुपूर्ति प्रत्येक वर्ष की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि आईसीडीएस योजना एक अप्रैल 2014 से सभी जिलों में कार्यान्वित की जाएगी। इसी तरह सरकार ने राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 का अनुमोदन कर दिया है जिनमें रोजगार, उत्पादकता और संरक्षण शामिल हैं। इसका सीधा–सा असर ग्रामीण इलाके पर पड़ेगा। इसी तरह समुदाय रेडियो स्टेशनों को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। श्री पी. चिदम्बरम ने अल्पसंख्यक समुदाय के विकास पर जोर देते हुए कहा कि 10 वर्ष पहले देश के 121 जिलों में अल्पसंख्यक–बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के 14,15,000 बैंक खाते थे। जबकि मार्च, 2013 के अंत में उनके 43,52,000 बैंक खाते थे। पूरे देश में दिसम्बर, 2013 के अंत तक अल्पसंख्यकों को 211,451 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि खाता न खुलवाने वाले ज्यादातर अल्पसंख्यक ग्रामीण इलाके के थे।

गांवों में बैंकों का विकास

शहरी इलाके में बैंकों की सुविधा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बैंकों की पर्याप्त सुविधा न होने की वजह से भी ग्रामीण इलाके पिछड़ेपन के शिकार हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाके को बैंकों की सुविधा से आच्छादित करने का प्रयास किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी लगाने के लिए 11,200 करोड़ रुपयें का प्रावधान किया है। वित्तमंत्री ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक 5207 शाखाएं खोली गई हैं तथा बैंक प्रत्येक शाखा में एटीएम लगाने के लक्ष्य के निकट हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : acyinp@gmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।
कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।
नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....
पता ....
.... पिन ....
इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

• ग्रामीण विकास एवं युवा शक्ति को समर्पित अंतरिम बजट

प्रो के. एम. मोदी

वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने अंतरिम बजट पेश करते हुए उसको मुख्य तौर पर कृषि व ग्रामीण विकास तथा युवा शक्ति पर केन्द्रित रखा है। वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने गांवों को देश के विकास की मुख्यधारा में समावेशित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय का अंतरिम बजट 82,202 करोड़ रुपये का रखा है जबकि बजट 2013-14 में ग्रामीण विकास हेतु 80,194 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। बजट में दूध व ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क में कमी करके कृषि विकास व कृषि में मशीनीकरण के प्रयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने अंतरिम बजट पेश करते हुए उसको मुख्य तौर पर कृषि व ग्रामीण विकास तथा युवा शक्ति पर केन्द्रित रखा है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वित्तमंत्री ने स्पष्ट किया कि "मेरा इरादा सभी को खुश करना नहीं है। मेरा मकसद भारत को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।" वित्तमंत्री ने देश को आर्थिक रूप से महाशक्ति की पहचान देने हेतु दस कार्यों को चिन्हित किया है जिसमें राजकोषीय मजबूती, चालू खाता घाटा कम करना, मूल्य स्थिरता और विकास, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, अवसंरचना विनिर्माण एवं राज्यों व केन्द्र के मध्य जिम्मेदारी वहन करना सम्मिलित है। वित्तमंत्री का मानना है कि इन दस कार्यों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करके देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना सम्भव है।

वित्तमंत्री श्री चिदंबरम ने बजट भाषण में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि अर्थव्यवस्था आज दो साल पहले से काफी स्थिर है। राजस्व घाटा व चालू खाता घाटा कम हो रहा है जोकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए शुभ संकेत है। खाद्य मुद्रास्फीति भी 13.6 प्रतिशत से कम होकर 6.2 प्रतिशत हो गई किन्तु अभी भी महंगाई चिन्ताजनक है जिसको नियंत्रित करना अहम् मुद्दा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का

केन्द्र बिन्दु व ग्रामीण जीवन की धुरी है। ज्ञातव्य है कि देश की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जीविकोपार्जन हेतु कृषि एवं संबंधित क्रियाओं पर ही आश्रित है। अतः ग्रामीण विकास की अवधारणा को सार्थक करने में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। बजट 2013–14 में कृषि क्षेत्र को विकास मार्ग पर अग्रसर करके लाभकारी व सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक सार्थक प्रावधान किए गए थे। वर्तमान अतंरिम बजट में भी वित्तमंत्री ने कृषि क्षेत्र को 2 लाख 97 हजार 327 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है।

कृषि के विकास व आधुनिकीकरण में ऋणों की अहम भूमिका है। किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में तथा उचित ब्याज दर पर ऋणों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करके ही कृषि क्षेत्र में विकास व लाभकारिता की दर को बढ़ाना संभव है। कृषि उत्पादन के लिए कृषि ऋण प्रमुख शक्ति है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान बजट में कृषकों पर ऋणों का बोझ हल्का करने हेतु कृषि ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान दिया गया है तथा साथ ही 3 प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा। बजट में यह तथ्य समक्ष रखा गया है कि सात लाख करोड़ रुपये कृषि ऋण का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त होगा तथा यह 7.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में विकास दर 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। सरकार अनुदान के जरिए किसानों व आम आदमी पर महंगाई की मार कम करने को कृत संकल्पित है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए बजट में 2.46 लाख करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान रखा गया जिसमें 26.4 प्रतिशत पेट्रोलियम, 46.7 प्रतिशत खाद्य तथा 26.9 प्रतिशत उर्वरक क्षेत्र को आवंटित किए गए हैं।

बजट में दूध व ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क में कमी करके कृषि विकास व कृषि में मशीनीकरण के प्रयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों के विकास हेतु बजट में 12000 करोड़ रुपये के कोष का गठन करके पूर्वोत्तर राज्यों एवं हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्यों के विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि उत्पादन नाशवान है अतः कृषि उत्पादों का सुरक्षित भण्डारण आवश्यक है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अंतरिम बजट में चावल के भण्डारण को दुरुस्त करने के लिए कोल्ड स्टोरेज व भंडारण गृह के निर्माण पर बल दिया गया है तथा चावल को सेवा कर से भी राहत दी गई है।

हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है। अतः देश की समृद्धि, खुशहाली व प्रगति निसंदेह रूप से गांवों के विकास पर ही निर्भर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देश की अर्थव्यवस्था में गांवों की भूमिका को प्रतिपादित करते हुए उचित ही कहा था, भारत गांवों का देश है, यहां की आत्मा गांवों में निवास करती है। वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने गांवों को देश के विकास की मुख्यधारा में समावेशित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय का अंतरिम बजट 82,202 करोड़ रुपये का रखा है जबकि बजट 2013–14 में ग्रामीण विकास हेतु 80,194 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

ज्ञातव्य है कि आधारभूत संरचनाओं का विकास करके ही गांवों को विकास पथ पर अग्रसर करना संभव है। आधारभूत संरचनाओं में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है। बजट में यह बताया गया है कि दस वर्षों में बिजली उत्पादन 1.12 लाख मेगावॉट से बढ़कर 2.34 लाख मेगावॉट हुआ है। वर्ष 2014–15 के दौरान 500–500 मेगावॉट के चार अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि "बिजली आपूर्ति" नियमित रूप से सुनिश्चित करके देश को विकास पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बजट में 9768 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया तथा 333 करोड़ रुपये रिपेयरिंग व अपग्रेडिंग के लिए आवंटित किए गए।

गांवों के विकास में 'परिवहन व्यवस्था' की भूमिका महत्वपूर्ण है। सड़कें गांवों के विकास की धुरी हैं। सड़क व्यवस्था सुगम व पर्याप्त होने पर ही गांवों व शहरों के मध्य आवागमन सुचारू रूप से हो पाता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस बजट में 39,144 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है तथा यह निर्धारित किया गया है कि अधिकांश सड़कों का निर्माण कार्य गांवों में किया जाए। ज्ञातव्य है कि गत दस वर्षों में गांवों में सड़कों का जाल सात गुना बढ़ा है।

देश में बैंकिंग ढांचे को अधिक व्यापक बनाने एवं आम आदमी तक बैंक की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अंतरिम बजट में 8000 अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलने की घोषणा की गई है। हर शाखा में एटीएम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी बैंकों में पूंजी लगाने के लिए 11,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्तमंत्री के इस कदम से निश्चित तौर पर कृषि एवं ग्रामीण विकास में बढ़ोतरी होगी। इसी भांति, वित्तमंत्री ने बजट भाषण में बताया कि इस वर्ष अर्द्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए 10000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में जीवन बीमा निगम ने कार्यालय खोले हैं तथा चार पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कम्पनियों ने 1849 कार्यालय खोले हैं जिससे बीमा सेवाओं से ग्रामीण भी लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए बजट में 33725 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जोकि पिछले वर्ष से 3605

करोड़ रुपये कम हैं। इसी भांति, ग्रामीण आवास निधि को 6000 करोड़ तथा शहरी आवास निधि को 2000 करोड़ का आवंटन करके आवास सुविधाओं की बढ़ोतरी की दिशा में सार्थक पहल की गई है।

विश्व में सर्वाधिक "युवा शक्ति" भारत में है। युवा शक्ति को सक्षम, योग्य व शिक्षित बनाने पर ही देश विश्व में अपना नाम चमका सकता है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में देश की बढ़ती "युवा शक्ति" को चुनौती नहीं अपितु अवसर करार करते हुए युवाओं के लिए उच्च शिक्षा, कौशल संवर्धन व प्रशिक्षण व्यवस्था पर जोर दिया है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वित्तमंत्री ने अपने बजट में 31.03.2009 तक किए गए और 31.12.2013 तक बकाया सभी एजुकेशन ऋणों पर ब्याज में छूट का प्रावधान करके युवाओं के लिए शिक्षा का मार्ग सुलभ किया है। इस प्रावधान से नौ लाख विद्यार्थियों को 2600 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होगा। गौरतलब है कि दिसम्बर 2013 तक सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में 25.70 लाख विद्यार्थियों के ऋण सम्बंधी केस थे जिसमें 57.7 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं जिसे चुकाने का जिम्मा सरकार ने उठाया है। निश्चित रूप से एजुकेशन ऋणों पर ब्याज में छूट व स्कॉलरशिप के बलबूते पर ग्रामीण गरीब बच्चे पढ़कर विकास की राह पर अग्रसर हो सकेंगे। इस प्रकार से बजट में शिक्षा के क्षेत्र में ठोस पहल की गई है तथा शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान ग्रामीण भिन्नताओं व असंगतियों का निवारण करने का प्रयास किया गया है।

इसी भांति, युवाओं को "कौशल व दक्षता निर्माण" हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनके बेरोजगार हाथों को काम देना सम्भव है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए वित्तमंत्री ने "डवलपमेंट स्किल" कोष हेतु एक हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है ताकि युवाशक्ति कौशल व दक्षता से लैस होकर देश के विकास में योगदान दे सकें। ज्ञातव्य है कि गत बजट में भी नेशनल स्किल डवलपमेंट हेतु 1000 करोड़ रुपये रखे गये थे। इसमें 1.68 लाख युवकों ने नामांकन करवाया था तथा 77000 ने प्रशिक्षण पूरा किया।

यही नहीं, बजट में दस वर्षों में दस करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य रखकर देश में बेरोजगारी के बढ़ते दंश को कम करने की दिशा में सार्थक कदम उठाया गया है। वित्तमंत्री का अनुमान है कि सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का अंश 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक किया जाएगा जिससे आगामी दस वर्षों में 10 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना सम्भव हो सकेगा। वित्तमंत्री ने माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करके रोजगार बढ़ाने तथा नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए बजट में सरकार ने इस क्षेत्र के बजट को 2.33 प्रतिशत से बढ़ाते हुए 67398 करोड़ रुपये कर दिया है ताकि प्रत्येक बच्चा शिक्षा की रोशनी से आलौकित हो सके।

सरहदों पर तैनात रहने वाले एवं देश की रक्षा में अपना खून बहाने वाले सैनिकों के लिए "वन रैंक, वन पेंशन" स्कीम की बजट में घोषणा करके वित्तमंत्री ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस घोषणा से 24 लाख रिटायर्ड पूर्व सैनिकों तथा 14 लाख वर्तमान सैनिकों को लाभ मिलेगा। इसी योजना हेतु 500 करोड़ रुपये मजूंर किए गए हैं। इस स्कीम के प्रभावी होने से रिटायर्ड सैनिकों को प्राप्त होने वाली पेंशन में विसंगति दूर होगी जिसकी मांग काफी समय से सैनिकों द्वारा की जा रही थी। इसी भांति, सी.आर.पी.एफ. के आधुनिकीकरण हेतु बजट में 11009 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्तमान बजट में रक्षा बजट 10 प्रतिशत बढ़ाकर 2.24 लाख करोड़ रुपये किया गया है।

वित्तमंत्री ने "आधार" को सशक्तिकरण का महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुए "आधार" योजना को पूरी तरह से लागू करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। महिला सुरक्षा पर मंडराते खतरे को कम करने के लिए बजट में 'निर्भया निधि' में 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन करके देश की आधी दुनिया के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

आर्थिक जीवन का आधार एवं रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि को देश की आधारशिला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः यह कहना समीचीन होगा कि कृषि के विकास, समृद्धि व उत्पादकता पर ही ग्रामीण विकास व सम्पन्नता निर्भर है। यही नहीं, कृषि क्षेत्र को समुन्नत व सुदृढ़ करके ही देश में 'खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य हासिल करना संभव होगा। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए यह जरूरी है कि बजट में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग ईमानदारी, पारदर्शी व पूर्ण कुशलता से हो, भ्रष्टाचार पर लगाम कसने हेतु कठोर कदम उठाए जाएं। ऐसा करके ही बजट प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की धुंधली तस्वीर को चमकाकर 'समावेशी विकास' के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करके ही देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को दो अंकों की विकास दर में तब्दील करना संभव होगा तथा देश विकसित देशों की कतार में पंक्तिबद्व हो पाएगा।

(लेखक राजकीय महाविद्यालय, नागौर, राजस्थान में प्रवक्ता हैं।)
ई–मेल : anita3modi@gmail.com

Career Launcher News www.careerlauncher.com/civils

CAREER LAUNCHER

सिविल सेवा अभ्यर्थी

Test Series Notice No. 00/2014 - 15 March 2014

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2014

13* बार आयोजित की जाएगी

यदि आप CL की टेस्ट सीरीज़ में भाग लेते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल सच है। CL से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको हूबहू प्रारंभिक परीक्षा जैसा अनुभव प्राप्त करने के 12 अवसर प्राप्त होंगे जबकि अन्य संस्थान यह अवसर मात्र 2 या 3 बार प्रदान करते हैं। CL की टेस्ट सीरीज़ से आप के लिए प्रारंभिक परीक्षा अत्यंत सरल हो जाएगी और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप 13वाँ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। CL की टेस्ट सीरीज़ के अन्य लाभ निम्नलिखित हैं:

	UPSC	CL	अन्य
1. संपूर्ण भारत में आयोजन	✓	✓	✗
2. 10,000 से अधिक अभ्यर्थी	✓	✓	✗
3. सामान्य अध्ययन I & II एक ही दिन	✓	✓	✗
4. हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनो भाषाओं में प्रश्न पत्र	✓	✓	✗
5. ओएमआर शीट	✓	✓	✗
6. स्कूलों में परीक्षा	✓	✓	✗
7. ऑल इंडिया रैंक	✗	✓	✗
8. टेस्ट परिचर्चा	✗	✓	✗
9. पर्सनल फीडबैक	✗	✓	✗
10. टेस्ट के तुरंत बाद प्रश्न पत्र का हल	✗	✓	✓

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में CL के अभ्यर्थियों की सफलता की दर 6# गुना अधिक है

30.07%
CL के अभ्यर्थियों की सफलता की दर

4.7%
अन्य अभ्यर्थियों की सफलता की औसत दर

23 मार्च 2014 से टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ

प्रधान परीक्षा 2012 एवं प्रारंभिक परीक्षा 2013 में सफल अभ्यर्थियों के लिए विशेष ऑफर

CL के 742 अभ्यर्थी सिविल सेवा प्रधान परीक्षा, 2013 के लिए योग्य पाये गये

*CL के 12 मॉक टेस्ट +1 UPSC की असली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा

हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर

CL | Civil Services Test Prep

www.careerlauncher.com/civils /CLRocks

कक्षाओं के लिए नए बैच शीघ्र प्रारंभ, विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निकटतम् CL सेंटर पर संपर्क करें

मुखर्जी नगर: 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन - 41415241/46
ओल्ड राजेन्द्र नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर के सामने, फोन - 42375128/29
बेर सराय: 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन - 26566616/17
साउथ कैम्पस: 283, प्रथम तल, वेकेंटेश्वरा कॉलेज के सामने, सत्या निकेतन, फोन - 24103121/39

अहमदाबाद: 2656061 | इलाहाबाद: (0)9956130010 | बंगलुरू: 41505590 | भोपाल: 4093447 | भुवनेश्वर: 2542322 | चंडीगढ़: 4000666 | चेन्नई: 28154725
हैदराबाद: 66254100 | इन्दौर: 4244300 | जयपुर: 4054623 | लखनऊ: 4108009 | नागपुर: 6464666 | पटना: 2678155 | पुणे: 32502168

KH-299/2103

गांवों के सर्वांगीण विकास हेतु अंतरिम बजट

सबिता कुमारी

भारत सरकार ने इस वर्ष के अंतरिम बजट में चहुंमुखी विकास को ध्यान में रखा है। ग्रामीण विकास हेतु 82,202 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गांवों के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, शिक्षा सहित वे तमाम प्रावधान इस बार के बजट में किए गए हैं जिससे ग्रामीण विकास को गति मिल सके।

वर्ष 2014–15 में शिक्षा हेतु 12257.61 करोड़ रुपये की सरकार की ओर से घोषणा की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हेतु 2425.23 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। सड़क योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कुल 1387.40 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज योजना के अंतर्गत कुल 2355.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पंचायतों का सुदृढ़ीकरण

ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका सबसे अहम् होती है। वित्तमंत्री ने इस वर्ष पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु कुल 2355.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

यह उल्लेखनीय है कि 2011 से केन्द्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय कुछ नए बिन्दुओं पर विचारमंथन कर रहा है, जिसे पंचायती राज प्रणाली को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक में शामिल किया जाएगा। इन बिन्दुओं में ग्रामसभा के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है। इस दिशा में तीन बातों पर विचार हो रहा है। पहला–बड़े आकार की पंचायतों में वार्डस्तर पर वार्डसभा का भी प्रावधान रखा जाए, जिससे व्यापक रूप से मतदाताओं की भागीदारी होगी। ज्ञातव्य है कि पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम में वार्डसभा का प्रावधान मौजूद है। दूसरा–ग्राम पंचायत अपने क्रियाकलाप के लिए ग्रामसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

तीसरा–ग्रामसभा को नए अधिकार दिए जाएंगे जो संसद द्वारा पारित पंचायत उपबन्ध अधिनियम, 1996 में वर्णित हैं। इन अनुसूचित क्षेत्रों में वैसे क्षेत्र आते हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–244 के खण्ड (1) में निहित हैं। इन संशोधनों में भी क्षेत्रों के ग्रामसभाओं को वैसी शक्ति मिल जाएगी तो कार्यपालिका संबंधी विकास कार्यों के लिए होती है। यह संविधान द्वारा बाध्यकारी है और इस प्रावधान से ग्रामसभा की भूमिका बढ़ जाएगी। इस नए प्रावधान से 73वें संविधान संशोधन में उल्लेखित पंचायतों के लिए 'स्वशासन की इकाई' शब्द का मूर्त रूप 'ग्रामसभा' में परिलक्षित होगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

गांवों में विकास की धुरी सड़कें होती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव को सड़क से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। गांवों में सड़कें बनने के बाद वहां विकास के सभी संसाधन बढ़े हैं। चूंकि गांवों को सड़कों से जोड़ने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई है। यही वजह है कि मौजूदा अंतरिम बजट में सरकार की ओर से 1387.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शत–प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसम्बर, 2000 को शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। भारत निर्माण के अंतर्गत वर्ष 2009 तक समयबद्ध तरीके से मैदानी क्षेत्रों में 1000 से ज्यादा जनसंख्या वाले आबाद क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है।

भारत सरकार ने 'ग्रामीण सड़कों' को भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक घटक बनाया है तथा जिसमें मैदानी क्षेत्रों में 1000 और इससे अधिक जनसंख्या और पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में 500 एवं इससे अधिक जनसंख्या वाली सड़कों से न जुड़ी सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 2013–14 के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् 21,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्तमंत्री ने अपने अंतरिम बजट में सड़क निर्माण हेतु कुल 1387.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी,2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से किया। पहले चरण में वर्ष 2006–07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनिंदा जिलों में इस योजना का कार्यान्वयन किया गया था। इसमें सर्वाधिक 23 जिले बिहार के सम्मिलित थे। पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए चयनित 200 जिलों में वह 150 जिले शामिल थे, जहां 'काम के बदले योजना' का विलय अब इस योजना में कर दिया गया है। एक अप्रैल, 2008 से इस योजना को सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया है।

इस योजना के तहत् चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम–से–कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गांरटी दी गई है (प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है तथा इसका विभाजन परिवार के वयस्क सदस्यों के बीच किया जा सकता है)। राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए लागू वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान इसके लिए किया जाता है, जो 60 रुपये से कम नहीं होगी। वर्ष 2011–12 में वास्तविक मजदूरी दर को बढ़ाकर 120 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मनरेगा' योजना के तहत् वर्ष 2011–12 के दौरान 19 जनवरी,2012 तक 3.80 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराए गए। कुल मिलाकर 122.37 करोड़ श्रम दिवस रोजगार का सृजन संदर्भित वर्ष में इस योजना के तहत् किया गया, जिनमें से 60.45 करोड़ महिला, 27.27 करोड़ अनुसूचित जाति तथा 20.97 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लिए थे। वर्ष 2012–13 के बजट में 33,000 करोड़ रुपये का आवंटन इस योजना के तहत किया गया था तथा वर्ष 2013–14 के लिए 'मनरेगा' योजना के तहत 33,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)

गरीब लोगों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अभिगम्य, वहनीय और जवाबदेही वाली गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एनआरएचएम की शुरुआत 12 अप्रैल, 2005 को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को वहनीय और विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु की गई थी। वर्ष 2010–11 के केन्द्रीय बजट में 15440 करोड़ रुपये की राशि इस योजना के लिए आवंटित की गई है। इस कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है। मिशन के संभावित निष्कर्षों में शिशु मृत्युदर में 30/1000 जीवित जन्म से नीचे तक कटौती, मातृ मृत्युदर 100/100000 से नीचे लाना आदि सम्मिलित है।

इस वर्ष के अंतरिम बजट में सरकार द्वारा स्वास्थ्य हेतु कुल 2411.78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना के एक हिस्से के रूप में एक योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य उन ग्रामीण बीपीएल परिवारों को वासभूमि स्थल उपलब्ध कराना है, जिसका नाम स्थाई आई.ए.वाई. प्रतीक्षा सूची में शामिल तो है परन्तु जिनके पास घर के लिए जमीन नहीं है। इस योजना के तहत 10000 रुपये प्रति वासभूमि स्थल की दर से धनराशि दी जा रही है जिसे केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50:50 आधार पर वहन किया जाता है। सभी राज्यों में इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। वर्ष 2009–10 के दौरान कर्नाटक, केरल, सिक्किम, बिहार तथा महाराष्ट्र से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बिहार, कर्नाटक, केरल, राजस्थान तथा सिक्किम को निधियां जारी की गई हैं। सभी राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे वर्ष 2016–17 तक सभी भूमिहीन ग्रामीण बीपीएल लोगों को घर के लिए जमीन देने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करें।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। पेयजल आपूर्ति की गति में तेजी लाने के लिए राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों को मदद पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 1972–73 में त्वरित ग्रामीण जन आपूर्ति कार्यक्रम प्रारम्भ किया था। इसका उद्देश्य राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देकर ग्रामीण लोगों को स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल सुविधाएं प्रदान करना है। ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में अधिक–से–अधिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी पहुंचाने के लिए पूरे कार्यक्रम को एक मिशन का रूप दिया गया। तद्नुसार वर्ष 1986 में पेयजल तथा इससे संबंधित जल व्यवस्था पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की। राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर वर्ष 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिए वर्ष 2013–14 में 9900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में चल रही परियोजनाओं के लिए वर्ष 2013–14 के बजट में 1100 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया था।

ग्रामीण शिक्षा का विस्तार

शिक्षा विकास की कुंजी होती है। इसी सिद्धांत को अपनाते हुए केन्द्र सरकार भारत के गांवों में शिक्षा का विस्तार करने में जुटी हुई है। सरकार की ओर से ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में सुधार और साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सर्वशिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्यान्ह भोजन योजना आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वित्तमंत्री ने अपने अंतरिम बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 12257.61 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

खाद्य सुरक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 लोकसभा में 22 दिसम्बर, 2011 को पुर्नःस्थापित किया गया था। तत्पश्चात् उक्त विधेयक को खाद्य उपभोक्ता मामले और लोक वितरण की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को समीक्षा और रिपोर्ट दिए जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया था। स्थायी समिति ने 17 जनवरी, 2013 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत की। स्थायी समिति की सिफारिशों की पूर्विकता के आधार पर समीक्षा की गई थी और तद्नुसार सरकार ने लोकसभा में संसद के बजट सत्र में

शासकीय संशोधनों सहित उक्त विधेयक पर विचार करने और पारित करने की सूचना दी थी। तथापि संसद को 8 मई, 2013 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था और उसके पश्चात् दोनों सदनों का सत्रावसान हो गया था।

भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा 4 जून 2009 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित अपने भाषण में की गई उद्घोषणा के समय से अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 को पारित करने में बीत गए समय को और संसद में उसे पारित कराने में होने वाले विलंब को ध्यान में रखते हुए सरकार का सुविचारित मत यह था कि देश के लोगों को विधेयक को प्रस्तावित फायदों को पहुंचाने में और विलंब करना उचित नहीं होगा।

चूंकि संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं थे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावित विधान के फायदे लोगों तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंच सके, तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित था, इसलिए राष्ट्रपति ने 5 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 को स्वीकृति दी थी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के स्थान पर निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 लाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है :–

- गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए लोगों को सस्ती कीमतों पर क्वालिटी खाद्य की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए मानव जीवन–चक्र के दृष्टिकोण से खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा के लिए उपबंध करना।
- पुर्विकता गृहस्थों के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक माह राज्य सरकार के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रस्तावित विधान की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट सहायता प्राप्त कीमतों पर पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए हकदार बनाना। अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थियां अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति गृहस्थी प्रति माह प्राप्त करने के लिए हकदार होंगी। सहायता प्राप्त कीमतों पर उक्त हकदारियां, ग्रामीण जनसंख्या के 75 प्रतिशत तक और शहरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत तक को विस्तारित की जाएंगी।
- प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता को गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात् के छह मास के दौरान स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन के लिए हकदार बनाना जिससे अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट पोषण संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके और ऐसी महिलाओं के लिए 6000 रुपये से अन्यून के प्रसूति फायदे का ऐसी किस्तों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, उपबंध करना है।
- 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को (क) छह माह से छह वर्ष की आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क आयु के अनुसार समुचित भोजन का हकदार बनाना, जिससे अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट पोषण संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके, और (ख) कक्षा 6 तक के या 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु समूह के बालकों की दशा में स्थानीय निकायों या सरकार द्वारा चलाए जा रहे और सरकार से सहायता प्राप्त सभी विद्यालयों में विद्यालय अवकाशों को छोड़कर प्रत्येक दिन एक बार निःशुल्क दोपहर के भोजन का हकदार बनाना, जिससे अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट पोषण संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके।
- राज्य सरकार से ऐसे बालकों की, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, पहचान करने की और स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की अपेक्षा करना जिससे अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट पोषण संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच खर्च में हिस्सा बांटना भी है, ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, महिलाओं और बालकों की हकदारियों से संबंधित स्कीमों का क्रियान्वयन करना।
- प्रस्तावित विधान के अध्याय–2 के अधीन पात्र व्यक्तियों को, खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा प्रदाय न किए जाने की दशा में प्रत्येक व्यक्ति को संबंधित राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाने वाले समय के भीतर और रीति के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार बनाना।
- अखिल भारतीय–स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के विनिर्दिष्ट प्रतिशत को सहायता प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना और केन्द्रीय सरकार को राज्यवार ऐसी जनसंख्या का प्रतिशत, जो इसके अंतर्गत लाया जाना है, अवधारित के लिए सशक्त बनाना।
- राज्य सरकार को, प्रस्तावित विधान के अधीन पूर्विकता गृहस्थियों की हकदारी के प्रयोजनों के लिए उनकी पहचान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों को विहित करने और स्कीमों को लागू मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार ऐसी

गृहस्थियों और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थियों की पहचान करने के लिए समर्थ बनाना।

- प्रस्तावित विधान में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के सामंजस्य में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उत्तरोत्तर रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करना।
- राज्य सरकारों पर एक आंतरिक शिकायत समाधान तंत्र की, जिसके अंतर्गत कालसेंटर, हेल्प लाइनें, नोडल अधिकारियों को अभिहित किया जाना भी है या ऐसे अन्य तंत्र की, जो संबंधित सरकारों द्वारा विहित किया जाए; स्थापना करने के लिए और प्रस्तावित विधान के अध्याय–2 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण से संबंधित मामलों में व्यथित व्यक्ति की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए प्रत्येक जिले में इन हकदारियों और अन्वेषण तथा शिकायत निवारणों को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले उसके अपेक्षित कर्मचारियों सहित जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के लिए बाध्यता अधिरोपित करना।
- प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले राज्य खाद्य आयोग के लिए उपबंध करना।
- केन्द्रीय सरकार पर पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए खाद्यान्नों का नियमित प्रदाय सुनिश्चित करने और प्रस्तावित विधान की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट हकदारियों के अनुसार और कीमतों पर केन्द्रीय पूल से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा आवंटित करने की बाध्यता अधिरोपित करना।
- राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य में लक्षित हिताधिकारियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों का, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक स्कीम के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार और अपनी स्वयं की स्कीमों का कार्यान्वयन करने और उनको मॉनीटर करने के लिए उपबंध करना, और स्थानीय प्राधिकारियों को, उनके अपने–अपने क्षेत्रों में प्रस्तावित विधान के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बनाना।
- प्रत्येक ऐसा स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसको राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में समय–समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और अपने निष्कर्षों को प्रचारित करवाएगा और ऐसी स्थिति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, आवश्यक कार्यवाही करेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड

केन्द्र सरकार की ओर से बैंकों पर आधरित यह योजना किसानों के लिए रामबाण साबित हो रही है। इसका फायदा बड़े किसानों के साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों को भी भरपूर मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड ने न सिर्फ कृषि विकास को गति दी है बल्कि सामाजिक समस्या का भी खात्मा किया है। अब किसानों को न तो साहूकारों के जाल में फंसना पड़ता है और न ही पैसे के अभाव में उनकी फसल खराब होती है। वे समय पर फसल में न सिर्फ खाद–बीज की व्यवस्था कर लेते हैं बल्कि दूसरी आधारभूत जरुरतें भी पूरी करने में सफल हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड ने योजना तैयार की और इसे वर्ष 1998 में लागू किया। इस योजना में किसानों को उनके खेत के रकबे के हिसाब से ऋण की राशि तय की गई। जिस किसान के पास जितनी जमीन होगी उसी हिसाब से ऋण की सीमा निर्धारित कर दी गई है। किसान जब चाहे बैंक से पैसा ले और उसका उपयोग कृषि कार्य में करें। जैसे ही उसके पास पैसा आए वह ऋण खाते में पैसा जमा कर दें और ली गई राशि पर ब्याज से मुक्ति पा लें।

किसान क्रेडिट कार्ड का मूल उद्देश्य भी यही था कि किसानों को बार–बार ऋण उपलब्ध कराया जाए। इतना ही नहीं किसान क्रेडिट कार्ड में हर मौसम में मूल्यांकन की भी आवश्यकता नहीं है। किसान कोई भी पहचान–पत्र बैंकों को उपलब्ध कराकर अपनी फसल के लिए आवश्यक ऋण ले सकता है। किसान जितना ऋण लेता है, उसी पर उसे ब्याज देना पड़ता है। इस योजना के तहत किसानों को एक पासबुक दी जाती है। पासबुक पर किसान का नाम व पता, भूमि जोत का विवरण, उधार सीमा, वैधता अवधि, पासपोर्ट आकार की फोटो लगी होती है। यह पासबुक लेनदेन के साथ ही पासपोर्ट का भी काम करती है। इतना ही नहीं किसान क्रेडिट कार्ड को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन लाया गया है। कार्डधारक किसान की मृत्यु पर 50 हजार रुपये, स्थानीय पूर्ण अक्षमता पर 50 हजार रुपये, दो अंग या दोनों आंख या एक अंग तथा एक आंख के खो जाने पर 50 हजार रुपये, अस्थायी विकलांगता पर 25 हजार रुपये का वैयक्तिक दुर्घटना बीमा रक्षा दिया जाता है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : savitakumari470@yahoo.com

अंतरिम रेल बजट में हर क्षेत्र को रेल सेवा से जोड़ने का प्रयास

धनजी चौरसिया

रेलमंत्री श्री मल्लिकार्जुन खडगे ने वर्ष 2014-15 के अंतरिम रेल बजट में यात्रियों की हर सुख-सुविधा का ध्यान रखा है। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही लोगों की सुरक्षा को भी तवज्जो दिया गया है। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए रेलवे एक नई हरित क्रांति में जुटी हुई है। रेलमंत्री ने ऐलान किया कि वह कम संसाधनों में रेलवे विकास के साथ ही यात्री सुविधा को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं। इसी के तहत पूर्वोत्तर इलाके को भी रेल सेवा से जोड़ने की दिशा में कार्य करते हुए पूरे देश के लिए अंतरिम रेल बजट में 17 प्रीमियम व 39 एक्सप्रेस व 10 पैसेंजर ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई गई है। बजट अनुमान 2013-14 में 63,363 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 2013-14 में 59,359 करोड़ रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 2014-15 में 64,305 करोड़ रुपये के निवेश का उल्लेख किया गया है।

रेलमंत्री श्री मल्लिकार्जुन खडगे ने संसद में वर्ष 2014-15 का अंतरिम रेल बजट पेश करते हुए हर क्षेत्र को रेल सेवा से जोड़ने का प्रयास किया है। भारी हंगामे के बीच पेश किए गए रेलवे के अंतरिम बजट में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे भविष्य में आम आदमी के लिए ढेर सारी सहूलियतें हासिल होंगी। रेल सेवा के विस्तार के साथ ही आर्थिक पहलू पर भी खास ध्यान रखा गया है।

रेलमंत्री ने अंतरिम रेल बजट में यात्रियों को 17 प्रीमियम व 39 एक्सप्रेस व 10 पैसेंजर ट्रेनों का तोहफा दिया। प्रीमियम ट्रेनों में प्लेन की तर्ज पर मार्केट के हिसाब से किराया वसूला जाएगा। श्री खडगे ने कहा कि कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। वैष्णो देवी के लिए रेल सेवा जल्द शुरू होगी। मुम्बई में जुलाई 2014 से वातानुकूलित ईएमयू सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। चार मेमू, 3 डेमू गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। पिछले पांच वर्षों के

दौरान समूह ग श्रेणी में 1 लाख से ऊपर और पूर्व समूह घ श्रेणी में 1.6 लाख कर्मियों को रोजगार दिया जा चुका है। इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी हैं ताकि सभी रिक्त पदों को भरा जा सके और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया हो सकें।

रेलमंत्री ने कहा कि यात्रियों को किराए में राहत देते हुए इस बार भाड़ा भी नहीं बढ़ाया गया है। रेलमंत्री ने रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेल दरों का निर्धारण करना पर्दे के पीछे का काम नहीं होगा बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वर्ष 2014–15 में कुल यातायात पावतियों का लक्ष्य 1.6 लाख करोड़ रुपये रखा गया। अर्थव्यवस्था में अनुकूल संकेतों के चलते माल यातायात के लक्ष्य में 49.7 मिलियन टन की वृद्धि करते हुए इसे 1,052 मिलियन टन से बढ़ाकर 1,101 मिलियन टन कर दिया गया है। वर्ष 2014–15 में माल, यात्री, अन्य कोचिंग और संड्री आदि से हुई आय के लिए बजटीय अनुमानों को क्रमश 1,05,770 करोड़ रुपये, 45,255 करोड़ रुपये, 4,200 करोड़ रुपये और 5,500 करोड़ रुपये रखा गया है। सामान्य कार्य व्ययों के लिए 1,10,649 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है जो वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों से 13,589 रुपये ज्यादा है।

वर्ष 2013–14 के 24 हजार करोड़ के संशोधित अनुमानों की तुलना में पेंशन के लिए 27 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। संशोधित अनुमान 2013–14 के 1,27,260 करोड़ रुपये की तुलना में 1,44,199 करोड़ रुपये के कुल संचलन व्यय का बजट रखा गया है। बजट अनुमान 2013–14 में 63,363 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 2013–14 में 59,359 करोड़ रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 2014–15 में 64,305 करोड़ रुपये के निवेश का उल्लेख किया गया है। सामान्य राजस्व से 30,223 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता का प्रस्ताव है। विभिन्न परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करते हुए रेलमंत्री ने बताया कि कई परियोजनाओं पर कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा के साथ लागत में भागीदारी की व्यवस्था द्वारा रेलवे अवसंरचना पर सहमति बनी है। कई सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं विचाराधीन हैं। विश्वस्तरीय रेल अवसंरचना के निर्माण का वित्तपोषण करने के लिए एफडीआई का सहारा लिया जा रहा है। रेलमंत्री ने यह भी बताया कि रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक 937 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।

रेलमंत्री ने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के कारण एक लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त भार को रेलवे ने अपने संसाधनों से पूरा किया है। वर्ष 2013–14 के दौरान नई लाइनों, आसान परिवर्तन और दोहरीकरण के 1,532 कि.मी. पर यातायात चालू किया गया। इसी तरह नए कारखानों में रेल पहिया कारखाना, छपरा, रेल कोच फैक्टरी, रायबरेली और डीजल कलपुर्जा कारखाना, दानकुनी में उत्पादन शुरू करना शामिल है। राष्ट्रीय खेलकूद आयोजनों में रेलवे खिलाड़ियों ने 23 स्पर्धाओं में खिताब जीते और 9 स्पर्धाओं में उप–विजेता रहे। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चौम्पियनशिपों में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। साल 1992 में शुरू की गई एक आसान नीति के अंतर्गत 19,214 किलोमीटर लाइनों को बड़ी लाइन में आसान परिवर्तन किया जिससे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम और तमिलनाडु स्हित विभिन्न राज्यों को लाभ हुआ। जनता भोजन के लिए 51 जन–आहार आउटलेट एवं स्टेशनों पर यात्रियों के लिए 48 एस्केलेटर शुरू कर दिए गए हैं तथा 61 और एस्केलेटरों की स्थापना की जा रही है.। जुलाई 2014 से मुंबई में वातानुकूलित ईएमयू सेवाओं की शुरुआत होगी।

यात्री सुरक्षा के लिए सात नए कदम

अंतरिम रेल बजट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। रेलमंत्री ने बजट में सुरक्षा के सात नए कदमों की घोषणा की। उन्होंने रेलवे दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि रेल प्रणाली में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पिछले पांच वर्ष में मानव–रहित रेल क्रॉसिंग पर 2310 चौकीदार तैनात किए गए और 3090 रेल क्रॉसिंग पर ऊपर एवं नीचे सड़कें, पुलों का निर्माण किया गया। गाड़ी के आगमन के बारे में सड़कों एवं उपयोगकर्ताओं को अग्रिम में बेहतर श्रव्य–दृश्य चेतावनी दी जाएगी।देश में विकसित गाड़ी टक्कररोधी प्रणाली की शुरुआत होगी। 'क्रैशवर्दी' सवारी डिब्बों का विकास किया जाएगा। गत पांच वर्ष में ग्रुप सी कोटियों में एक लाख से अधिक और पूर्ववर्ती ग्रुप डी कोटियों में 1.6 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। सभी रेलइंजनों के लिए सतर्कता नियंत्रण उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे। इसमें अग्निरोधी सामग्रियों का उपयोग, इलैक्ट्रिक सर्किट के लिए मल्टीटियर सुरक्षा व्यवस्था, सभी डिब्बों में पोर्टेबल अग्निशामक, पेन्ट्री कारों में एलपीजी के स्थान पर इन्डक्शन आधारित कुकिंग और अति ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्रियों की गहन रूप से जांच शामिल है।

आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी पर जोर

रेलवे के अंतरिम बजट में आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण पर खास जोर दिया गया है। मुंबई– अहमदाबाद कोरीडोर के लिए एसएनसीएफ द्वारा बिजनेस डेवलपमेंट स्टडी कराई जाएगी। सेमी हाईस्पीड परियोजनाएं लागू की जाएंगी। इसी तरह चुनिंदा

मार्गों पर 160–200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए कम लागत वाले विकल्प की तलाश भी की जा रही है। भारतीय रेल का सदैव प्रयास रहा है कि उपलब्ध संसाधनों के भीतर आधुनिकीकरण और रेल उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत की जाए। इस दिशा में हाल ही में भारी ढुलाई वाली मालगाड़ियों के चालन के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाईस्पीड रेल परियोजना और सेमी हाईस्पीड परियोजना शुरू की गई है। पूर्वी और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति हो रही है और अभी तक लगभग 1,100 किलोमीटर के लिए सिविल निर्माण ठेके प्रदान कर दिए गए हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान 1,000 किमी. के लिए सिस्टम ठेकों के साथ–साथ सिविल निर्माण ठेके दिए जाने का लक्ष्य है। मई 2013 में भारत और जापान के माननीय प्रधानमंत्रियों के बीच सहमति हुई है और मुंबई–अहमदाबाद हाईस्पीड गलियारे के लिए एक संयुक्त व्यावहारिकता अध्ययन किया गया, जिसे भारतीय रेल और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्तपोषित किया गया है। इसे दिसंबर 2013 में शुरू किया गया है और यह 18 महीनों में पूरा हो जाएगा। इसी गलियारे के लिए फ्रेंच रेलवे (एसएनसीएफ) द्वारा किया जा रहा व्यापार विकास अध्ययन अप्रैल, 2014 में पूरा कर लिया जाएगा। इन अध्ययनों के बाद भारतीय रेल इस परियोजना को लागू करने से संबंधित आगे की कार्रवाई और रूपरेखा निर्धारित करेगी। हाई स्पीड परियोजना के अलावा दिल्ली–आगरा और दिल्ली–चंडीगढ़ जैसे मौजूदा चुनिंदा मार्गों पर रफ्तार 160–200 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए भारतीय रेल कम लागत वाले विकल्प भी खोजना चाहती है।

रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी

रेलवे को सूचना प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ग्राहक संपर्क सूत्र में क्रांति ला दी है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इसी तरह नगदी स्वीकार करने वाले ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें, आरक्षण की सुविधा से रहित क्षेत्रों में मोबाइल फोन पर टिकट उपलब्ध कराना, सिस्टम से एसएमएस के माध्यम से यात्रियों को पीएनआर की अद्यतन स्थिति देना, गाड़ी की चलने की अद्यतन स्थिति देना आदि मुद्दों पर भी हाईटेक व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह सभी प्रमुख स्टेशनों पर विश्रामालयों की ऑन–लाइन बुकिंग, चुनिंदा मार्गवर्ती स्टेशनों के लिए गाड़ियों में भोजन की ऑन–लाइन बुकिंग, माल ग्राहकों के लिए ई–फॉरवर्डिंग नोट और रेलवे रसीदों का इलैक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की व्यवस्था भी करने की कोशिश है।

रेल विकास के साथ ही पर्यावरण पर ध्यान

रेलमंत्री ने अंतरिम बजट में रेलवे विकास के साथ ही पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा है। पर्यावरण संरक्षण में भारतीय रेल की भूमिका की व्यापक रूप से सराहना की गई है। रेल परिवहन में ऊर्जा की किफायत के अलावा नवीकरण योग्य ऊर्जा का इस्तेमाल और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना रेलवे की प्राथमिकता है। रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी ने कार्य शुरू कर दिया है और वह पनचक्की, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की दिशा में कार्य कर रही है, जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से लगभग 40 फीसदी सब्सिडी प्राप्त हुई है। शुरुआत में 200 रेलवे स्टेशनों, 26 इमारतों की छतों और 2,000 समपार फाटकों को इसमें शामिल किया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सरकार द्वारा वर्ष 2013 में दिए गए 112 पुरस्कारों में से 22 पुरस्कार रेलवे ने प्राप्त किए हैं। इसी तरह स्टेशनों के पहुंच मार्ग के निकट रेलपथ के आसपास सौंदर्यपूर्ण परिवेश बनाने के उद्देश्य से आगरा और जयपुर स्टेशनों पर पायलट आधार पर ग्रीन कर्टेन का निर्माण किया जा रहा है। इसमें एक उपयुक्त दूरी तक रेलवे बाउंडरी के साथ–साथ समुचित ऊंचाई की आरसीसी बाउंडरी वॉल का निर्माण, रेलपथ से चारदीवारी और स्टेशन के परिचालन क्षेत्र में लैंडस्केपिंग और खुले में मलत्याग और कूड़ा–करकट फैलाने पर नियंत्रण रखने के लिए समुचित निगरानी की व्यवस्था शामिल है। इस पायलट परियोजना के सफल होने पर रेलवे नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों का समर्थन प्राप्त करने के अलावा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी संबंधी उपायों के जरिए कंपनियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के इच्छुक हैं। सवारी डिब्बों के भीतर और रेलवे लाइनों पर साफ–सफाई की ओर विशेष ध्यान देने के लिए रेलवे द्वारा बायो–टॉयलेट डिजाइन अपनाया गया है और यह टेक्नोलॉजी लगभग 2,500 सवारी डिब्बों में शुरू की गई है। इस टेक्नोलॉजी का उत्तरोत्तर विस्तार करने का प्रस्ताव है।

बाजार भागीदारी में वृद्धि

अंतरिम बजट में रेलमंत्री ने बताया कि वहन क्षमता 8 टन, मार्गों में मिसिंग लिंक को क्लियर करना, मालगाड़ी की गति बढ़ाना, चल स्टॉक का अपग्रेडेशन, गाड़ियों की लंबाई बढ़ाना, रेलवे की ओर यातायात आकर्षित करने और गाड़ियों का खाली चालन न्यूनतम करने के लिए दर सूची और प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जाएंगी। इसी तरह सभी स्टॉक होल्डरों को शामिल करने के लिए किरायों और मालभाड़े के निर्धारण के संबंध में सलाह देने के लिए स्वतंत्र रेल दर प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है।

पूर्वोत्तर में रेल सेवाओं का विस्तार

भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्वोत्तर भौगोलिक विषमता की वजह से अभी तक रेल सेवाओं का समुचित लाभ नहीं ले पा रहा है। इस वजह से रेलमंत्री ने इस बार के अंतरिम बजट में पूर्वोत्तर का भी खास ध्यान रखा है। रेलमंत्री ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में रेल संपर्क सुविधा का विस्तार करते हुए इस वित्तवर्ष में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 510 किलोमीटर लंबी रंगिया–मुरकोंगसेलेक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य जारी है। इस वित्तवर्ष में हरमुटी–नाहरलागुन नई लाइन के शीघ्र ही शुरू होने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी जल्द ही रेलवे के मानचित्र पर आ जाएगी। उन्होंने बताया कि मेघालय भी इस वित्तवर्ष में रेलवे के मानचित्र पर होगा, क्योंकि दुधनोई–महंदीपठार पर नई रेलवे लाइन का कार्य मार्च 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा।

रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना

लीक से हटकर किए गए निर्णय के अनुसार सरकार को किराया और मालभाड़ा निर्धारित करने के संबंध में सलाह देने के लिए एक स्वतंत्र रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। अब दरों का निर्धारण करना पर्दे के पीछे का कार्य नहीं होगा जहां उपयोगकर्ता गुप्त रूप से ही पता लगा सकते थे कि दूसरी ओर क्या हो रहा है। रेल टैरिफ प्राधिकरण रेलवे की आवश्यकताओं पर ही विचार नहीं करेगा, बल्कि एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सभी हितधारकों को भी शामिल करके एक नई कीमत निर्धारण व्यवस्था आरंभ करेगा। इससे किराया और मालभाड़ा अनुपात को बेहतर बनाने के लिए किराए और माल संरचनाओं को युक्तिसंगत बनाने का दौर आरंभ होगा और धीरे– धीरे विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्रॉस सब्सिडाइजेशन को कम किया जा सकेगा। उम्मीद है कि इससे रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी और राजस्व प्रवाह की अस्थिरता कम करके स्थिरता लाई जा सकेगी।

तीर्थाटन का भी रखा ध्यान

देशभर के लाखों तीर्थयात्रियों को वैष्णो देवी दरबार सीधे पहुंचाने के लिए उधमपुर–कटरा खंड पर निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा सकता है और इस खंड पर ट्रायल सेवा भी शुरू कर दी गई है। तीर्थयात्रियों के लिए जल्द ही इस खंड पर सेवा प्रारंभ होने की संभावना है। कश्मीर की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत एक प्रमुख उपलब्धि के तौर पर पिछले वर्ष जून में बनिहाल से काजीगुंड के बीच सुरंग के माध्यम से 11.2 किलोमीटर लंबी घाटी को जोड़ने वाली रेललाईन संचालित की गई। इस सुरंग के माध्यम से अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन करते हुए 35 किलोमीटर लंबे मार्ग को घटाकर 17.5 किलोमीटर कर दिया गया। स्थानीय लोगों के लिए यह सुविधा हर मौसम में उपलब्ध है और घाटी के निवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है।

सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजनाएं

निजी क्षेत्रों से भागीदारी करके रेलवे में निवेश बढ़ाया जा रहा है। चल–स्टॉक विनिर्माण इकाइयों, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, बहु–कार्यात्मक परिसरों, लॉजिस्टिक पार्कों, निजी माल–यातायात टर्मिनल, मालगाड़ी परिचालन, उदारीकृत माल डिब्बा निवेश योजना और डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से संबंधित सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजनाएं विचाराधीन हैं और 12वीं योजना में निजी निवेश के लिए भरपूर अवसर प्रदान करते हैं। रेल क्षेत्र में घरेलू निवेशकों से निजी निवेश आकर्षित करने के अलावा विश्वस्तरीय रेल–अवसंरचना के निर्माण के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के संबंध में एक प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना 2013–14 के बजट में 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाने के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने के लिए की गई थी। उन्होंने अभी तक 937 करोड़ रुपये जुटाए हैं और आगे भी धनराशि जुटाने में प्रयासरत है।

नई फैक्ट्रियां और विशेष डिजाइन वाले कोच

रेलमंत्री ने बताया कि वर्ष 2013–14 के दौरान छपरा में रेल व्हील प्लांट, रायबरेली में रेलकोच फैक्ट्री तथा दानपुनी में डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री शुरू हो गई है और इनमें उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है। इसी तरह कश्मीर घाटी में रेल यात्रा के लिए विपरीत मौसमी परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सवारी डिब्बों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पे लोड की वहन क्षमता वाले जंगरोधी और हल्के भार वाले तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की क्षमता वाले डिब्बे विकसित किए गए हैं।

73 नई रेल सेवाएं

इस वर्ष के अंतरिम रेल बजट में 17 प्रीमियम रेल 39 एक्सप्रेस रेल, 10 यात्री गाड़ियां, 4 एमईएमयू और 3 डीईएमयू रेल प्रारंभ की जा रही हैं। तीन रेलों को बढ़ाया जाएगा और इन्हीं रेलों के फेरों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। रेलमंत्री ने अंतरिम बजट में ऐलान किया है कि वर्ष 2014–15 के दौरान नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस वर्ष के दौरान पांच मौजूदा लाइनों के दोहरीकरण का भी सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हैं)
ई–मेल : dhanjichaurasiya4@gmail.com

मनरेगा का हरियाणा में सफल क्रियान्वयन

डॉ. राजकुमार सिवाच एवं सुनील कुमार

निसंदेह मनरेगा लोगों का कानून है। इसलिए इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के पिछड़े जिले सिरसा, जिसमें यह अधिनियम सबसे पहले क्रियान्वित किया गया, का चयन एकल अध्ययन के रूप में किया गया है। जिले का कालुआना गांव जिसे सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता और अन्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के उत्कृष्टतम क्रियान्वयन के लिए अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, का चयन किया गया है। इस गांव की ग्राम पंचायत को हरियाणा सरकार द्वारा आरम्भ किए गए स्टेट इनसैन्टिव स्कीम ऑन सेनीटेशन (एस.आई.एस.एस.) 2008-09 का प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाल गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर अकुशल श्रमिकों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए संस्थागत प्रयास करती रही हैं। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन भी किया गया, जिनमें जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना सम्मिलित है। इन योजनाओं से लोगों को रोजगार के अवसर तो प्राप्त हुए हैं, परन्तु उन्हें गारंटीशुदा रोजगार नहीं मिल सका।

इन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 लागू किया। यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से देश के चुनिंदा 200 जिलों में लागू किया गया और 1 अप्रैल, 2008 से यह देश के सभी जिलों में लागू है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ऐसी गृहस्थी को, जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाना है।

इस अधिनियम के तहत भूमि विकास, जल- संरक्षण, सूखारोधी और बाढ़ नियंत्रण सरंक्षण आदि अनेक कार्यों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया है। इन कार्यों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया और शर्तों का संचालन इस प्रकार किया गया है कि इससे स्थानीय-स्तर पर सुशासन की अवधारणा का अहसास किया जा सके। इसी कारण इसे उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण का उपकरण माना जाता है। निसन्देह मनरेगा अधिनियम लोगों का कानून है। इसलिए इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के पिछड़े जिले सिरसा, जिसमें यह अधिनियम सबसे पहले क्रियान्वित किया गया, का चयन एकल अध्ययन के रूप में किया गया है। जिले का कालुआना गांव जिसे सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता और अन्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के उत्कृष्टतम क्रियान्वयन के लिए अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, का चयन किया गया है। इस गांव की ग्राम पंचायत को हरियाणा सरकार द्वारा आरम्भ किए गए स्टेट इनसैन्टिव स्कीम ऑन सेनीटेशन (एस.आई.एस.एस.) 2008-09 का प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है।

सिरसा जिले का संक्षिप्त सामाजिक-आर्थिक परिवेश

हरियाणा एक छोटा-सा राज्य है जिसके लोगों में संस्कृति, भाषा, शैली और जीवन-स्तर के आधार

पर अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। पंजाब के साथ लगते क्षेत्रों में पंजाबी संस्कृति का प्रभाव है। अम्बाला, यमुनानगर और कालका में मिली–जुली संस्कृति है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की संस्कृति का प्रभाव सोनीपत, बहादुरगढ़ और पानीपत में देखा जा सकता है। गुड़गांव और फरीदाबाद में भूमण्डलीकरण द्वारा प्रदत्त कारपोरेट संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर है। पलवल में बृज, सिरसा में राजस्थानी एवं रोहतक, झज्जर व जींद में देशवाली संस्कृति का प्रभुत्व है। इस समय हरियाणा में 21 जिले हैं। इन जिलों में औसत जनसंख्या घनत्व 573 प्रतिवर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र के आधार पर भिवानी सबसे बड़ा जिला है और पंचकुला सबसे छोटा जिला है।

हरियाणा के 1 नवम्बर, 1966 को पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के समय 7 जिले अम्बाला, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, हिसार एवं जींद थे (सांख्यिकीय सारांश हरियाणा, 2004–05, पृष्ठ 29)। सिरसा जिले का अस्तित्व 26 अगस्त, 1975 को हुआ। इससे पहले यह हिसार जिले का भाग होता था। पंजाब के भटिण्डा एवं फरीदकोट तथा राजस्थान का गंगानगर जिला इसकी सीमाओं को छूता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या 12,95,114 है। इसका क्षेत्रफल 4,227 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले का लिंगानुपात 1000 पुरुष और 896 महिलाएं हैं। जिले की साक्षरता दर 70.40 प्रतिशत है जो लिंग के आधार पर 78.60 प्रतिशत पुरुष साक्षरता और 61.20 प्रतिशत महिला साक्षरता है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह जिला हिसार मण्डल के मण्डल आयुक्त के अधीन आता है। जिला–स्तर पर उपायुक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है जो अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित होता है। इस समय जिले में चार तहसीलें क्रमशः डबवाली, ऐलनाबाद, रानियां और सिरसा हैं। इस समय जिले में सात खण्ड हैं। इनमें बड़ागुढा, डबवाली, ऐलनाबाद, नाथुसरी चौपटा, औढ़ा, रानियां और सिरसा हैं। जिले में कुल 334 गांव हैं, जो खण्डवार निम्न प्रकार से विभाजित हैं:–

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	गांवों की संख्या
1	बड़ागुढ़ा	44
2	डबवाली	48
3	ऐलनाबाद	44
4	नाथुसरी चौपटा	52
5	औढ़ां	37
6	रानियां	54
7	सिरसा	55
	कुल	334

स्रोत : www.nrega.nic.in

सिरसा में मनरेगा में क्रियान्वित किए गए कार्यों का अवलोकन

सिरसा जिला देश के उन जिलों में से एक है, जिसमें प्रथम चरण के दौरान (महेन्द्रगढ़ जिले के साथ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया। इसलिए इस जिले में महात्मा गांधी नरेगा को लागू किए हुए सात वर्ष पूरे हो चुके हैं। जिला ग्रामीण विकास अभीकरण (डी.आर.डी.ए.) के अधिकारियों ने अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए योजनाबद्ध परियोजना तैयार की। इसके तहत जिले के सभी गांवों में ग्रामसभाओं की बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों की प्रक्रिया और कार्यविधि दो चरणों में सम्पन्न हुई।

प्रथम चरण 29 अगस्त, 2006 से 8 अक्तूबर, 2006 तक तथा द्वितीय चरण 10 अप्रैल, 2007 से 8 मई, 2007 तक चला। इस समय तृतीय चरण का कार्यक्रम चल रहा है। इन सभी चरणों में कार्यान्वयन अभिकरण के सभी उत्तरदायी अधिकारियों के द्वारा ग्रामसभा के सभी सदस्यों और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष संवाद करके उन सभी योजनाओं और गतिविधियों की पहचान की गई, जो महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची 1 के पैरा 1 बी में सम्मिलित कार्यों पर आधारित हैं। ग्रामसभा की इन विशेष बैठकों में जिले में निम्नलिखित कार्यों की पहचान की गई है:–

- जल संरक्षण तथा जल संचय के कार्य।
- जलभराव की जांच तथा पौधारोपण करना। उदाहरण के लिए जल विभाजक परिवर्धन के सभी घटक, वनरोपण तथा पेड़ लगाना, नर्सरी उगाना, सांझा भूमियों में बागवानी तथा अन्य संबंधित कार्य।
- सूक्ष्म तथा लघु सिंचाई कार्य सहित सिंचाई नहरें जैसे कि लघु सिंचाई नहरों, नदियों की गाद निकालना, लघु सिंचाई कुंडों, फीडर वाहिकाओं का निर्माण तथा श्रम गहन सिंचाई संरचनाओं का सृजन करना।
- अनुसूचित जातियों से संबंधित परिवारों की भूमि को सुधारना या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अधीन लाभार्थियों की भूमि के लिए सिंचाई सुविधा की व्यवस्था करना।
- जोहड़ों की गाद निकालना व परम्परागत कुंडों की गाद निकालने व मरम्मत का कार्य करना।
- भूमि विकास का कार्य करना।
- बाढ़ग्रस्त श्रेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण तथा संरक्षण का कार्य करना।
- सभी मौसमों में पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण सम्बद्धता के लिए सम्पर्क सड़कों का निर्माण करवाना।
- लघु व सीमांत किसानों के खेतों में भूमि विकास का कार्य,

प्रथम महिला ग्रामसभा - एक अनूठी पहल

ग्रामसभा का गठन

किसी भी गांव में ग्राम पंचायत चहुंमुखी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है और इस चहुंमुखी विकास के लिए पूर्व नियोजित नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम ग्रामसभा है। गांव के बहुआयामी विकास के लिए ग्रामसभा एक उचित मंच प्रदान करती है। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार, ''ग्रामसभा का अर्थ एक ऐसे निकाय से है जिसमें ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आने वाले पंजीकृत निर्वाचक मंडल के व्यक्ति शामिल हैं।'' संविधान के अनुच्छेद 243 में यह कहा गया है कि ग्रामसभा राज्य की विधानसभा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके गांव के स्तर पर अपने कार्य करती है।

ग्रामसभा की बैठक

संविधान के संदर्भ में राज्यों में ग्रामसभा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के प्रावधानों में प्रायः भिन्नता पाई जाती है। अतः विभिन्न राज्यों की ग्रामसभा की संरचना, कार्यों और उत्तरदायित्व का अवलोकन करने के बाद यह बात सामने आई कि ग्रामसभा की बैठक से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रावधान हैं:–

- ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता ग्रामसभा के सदस्य होंगे।
- ग्रामसभा की एक वर्ष में तीन सामान्य बैठकें बुलाई जाएंगी तथा विशेष ग्रामसभा वर्ष में कभी भी बुलाई जा सकती है।
- मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक 6 माह पश्चात् विशेष ग्रामसभा अर्थात् सामाजिक लेखा परीक्षण करके पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- ग्रामसभा में समस्त पंचों का भाग लेना अनिवार्य है।
- गांव में कार्यरत सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी इस बैठक में भाग लेंगे।
- विशेष ग्रामसभा में कोरम पंजीकृत मतदाताओं का 1/10 भाग होना जरूरी है।
- ग्रामसभा की बैठक का एजेंडा, समय, तिथि तथा स्थान का ब्यौरा पंचायत घर में चिपका दिया जाएगा।
- प्रत्येक ग्रामसभा में पिछली ग्रामसभा की अमल में लाई गई कार्यवाही पढ़कर सुनाई जाएगी।

महिला ग्रामसभा की आवश्यकता व प्रासंगिकता

देश में जिस समय से ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है, उसी समय से ही आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया गया है। परन्तु इनमें, विशेषतौर पर महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में आशातीत सफलता नहीं मिली क्योंकि पितृ प्रधान समाज की अवधारणा की वज़ह से महिलाओं की न तो शासन व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित की गई और न ही उन्हें सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया। इसलिए महिला ग्रामसभा के गठन एवं आयोजन की कई कारणों से आवश्यकता और प्रासंगिकता है:–

- हमारे देश के संविधान की उद्देशिका में यह स्पष्ट लिखा है कि राज्य, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता एवं व्यक्ति की गरिमा को प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त संविधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिच्छेद किया गया है।
- संविधान की 11वीं अनुसूची में कृषि, जल प्रबन्धन, सामाजिक वानिकी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण आदि पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके क्रियान्वयन के लिए महिलाओं की सहभागिता एवं उनके विचारों को जानना अनिवार्य है।
- ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों, विशेषकर महात्मा गांधी नरेगा में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एक–तिहाई लाभांश दिया गया है, परन्तु ग्रामसभा में उनकी भागीदारी न होने अथवा विशेष महिला ग्रामसभा के आयोजन के अभाव में, ऐसे लाभ मात्र औपचारिकता बनकर रह जाते हैं।
- विभिन्न शोध अध्ययनों से यह बात पुष्ट होती है कि ग्रामीण स्वशासन के नाम पर सभी शक्तियां निर्वाचित पंचायतों खासकर सरपंच के हाथों में केन्द्रित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत पर कोई अंकुश नहीं रह पाता। यदि केवल महिलाओं की ग्रामसभा आयोजित की जाए तो शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी महिला को प्रभावित करने वाले विषयों पर ग्राम पंचायतों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।
- यधपि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई स्थान आरक्षित किए गए हैं, परन्तु पुरुष प्रधान मानसिकता एवं निर्वाचित पुरुष पंचों की तुलना में संख्या कम होने के कारण महिलाएं न तो अपने पक्ष को मज़बूती के साथ रख सकती हैं और न ही अपने हितों को सुरक्षित रख पाती हैं। ऐसी स्थिति में विशेष महिला ग्रामसभाओं का आयोजन इन्हें प्रासंगिक एवं व्यावहारिक बनाता है।
- यदि विशेष महिला ग्रामसभाओं के आयोजन को एक नियमित एवं प्रभावी माध्यम बना दिया जाए तो इससे केवल आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के सपनों को ही साकार नहीं किया जा सकेगा बल्कि ग्रामीण आंचल में धरातल पर एकत्रित महिलाओं के लामबद्ध होने से उनमें आत्मविश्वास एवं राजनैतिक चेतना

विकसित होगी, जिससे वे व्यापक राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में अपनी स्थिति का वास्तविक अवलोकन तथा उसका सहज अहसास कर पाएंगी।

महिला ग्रामसभाओं की उपयुर्क्त आवश्यकताओं के मद्देनज़र हरियाणा प्रांत के जींद जिले के गांव बीबीपुर में देश की प्रथम महिला ग्रामसभा की प्रक्रिया एवं उसकी सफलता का आकलन करना अनिवार्य है जो इस प्रकार है:–

बीबीपुर गांव की महिला ग्रामसभा

इस प्रकार की ग्रामसभा के अध्ययन के लिए हरियाणा के जींद जिला की बीबीपुर ग्राम पंचायत का चुनाव किया गया है। ग्राम पंचायत बीबीपुर के सरपंच श्री सुनील कुमार जागलान ने गहरी रुचि लेकर ग्रामसभा को प्रावधानों के अनुसार धरातल पर करवाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस ग्राम पंचायत में लगभग 6 हजार जनसंख्या है। ग्राम पंचायत में 14 पंच हैं जिनमें 05 महिला पंच शामिल हैं।

सरपंच की ग्राम पंचायत कार्यों में तेजी व पारदर्शिता की सोच के कारण ही 18 जून, 2012 को ग्रामसभा का आयोजन सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए किया गया।

सरपंच द्वारा 18 जून, 2012 को सामाजिक मुद्दों पर जब ग्रामसभा रखी गई तो उन्हें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। कन्या भ्रूण हत्या के मामले में हरियाणा राज्य की स्थिति अत्यंत चिन्तनीय है। हमारे समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता हावी होने के कारण महिलाओं को ग्रामसभा में लाना एक चुनौती से कम नहीं था लेकिन सरपंच व कुछ पंचों द्वारा हिम्मत न हारकर गांव के सभी लोगों को ग्रामसभा में लाया गया। इस ग्रामसभा से पूर्व गांव बीबीपुर में लिंग अनुपात की स्थिति अत्यंत चिन्तनीय थी। नवजात शिशुओं का यह अनुपात 25 लड़कों पर 14 लड़कियों का था। इस ग्रामसभा में यही सबसे मुख्य मुद्दा था। इस विशेष ग्रामसभा में महिलाओं ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया जिसका परिणाम आश्चर्यजनक रहा। इस ग्रामसभा के कारण आज बीबीपुर गांव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। आप बीबीपुर ही नहीं बल्कि पूरे जींद जिले का लिंग अनुपात 10 अंकों से सुधरा है और हरियाणा में भी इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। इसके लिए www.stopfemalefoeticide.org नामक वेबसाईट भी बनाई गई है।

बीबीपुर की इस ग्रामसभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि कोई भी परिवार अपने घर में बेटी के जन्म पर उसका पंजीकरण नहीं करवाता है तो ग्रामसभा में उसका नाम सार्वजनिक तौर पर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी 14 वार्डों में एक चार सदस्यीय समिति बनाई गई जिसमें तीन महिलाएं व एक पुरुष होगा। यह समिति अपने वार्ड में कन्या भ्रूण हत्या पर अपनी नजर रखेगी ताकि कोई भी यह दुष्कृत्य न कर पाए। इस गांव की स्वास्थ्य कर्मचारी (ANM) की जिम्मेदारी प्रत्येक गर्भवती स्त्री को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना है। सरपंच के अनुसार प्रत्येक ग्रामसभा को सफल बनाने के लिए पूर्व निर्धारित एजेंडा होना अनिवार्य है जिसका लोगों में ग्रामसभा से पूर्व प्रचार–प्रसार किया जाना आवश्यक है। इसके साथ–साथ आम जन द्वारा ग्रामसभा में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे/कार्य को यथासंभव अमल में लाया जाना अति आवश्यक है। उनके अनुसार प्रत्येक गांव की अपनी अलग से वेबसाईट होनी चाहिए तथा विभिन्न योजनाओं के बारे में जिला स्तर की वेबसाईट पर पूर्ण जानकारी भी उपलब्ध की जानी चाहिए। इस अकेले गांव की ग्रामसभा की वजह से आज पूरे राज्य में इसका असर देखा जा सकता है जोकि राज्य के बहुआयामी विकास का एक शुभ संकेत है।

बीबीपुर गांव की इस ग्रामसभा को समस्त देश ने देखा और इसकी कार्यवाही पंचायती राज मंत्रालय के पास भेजी गई। इसके उपरांत 10 सितम्बर, 2012 को ही पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसी विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन करने का आदेश जारी किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा इस ग्राम पंचायत की वेबसाईट www.bibipur.com की सफलता को देखते हुए पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों की वेबसाईट बनाने का आदेश दिया गया है।

इस ग्राम पंचायत को अनेक सम्मान जिला प्रशासन, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं जिनमें प्रदेश में प्रथम डिजिटल पंचायत का सम्मान, अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान, सामाजिक कार्यों के लिए राजीव गांधी सम्मान तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक करोड़ रुपये का विशेष सम्मान आदि शामिल हैं। इस ग्रामसभा के कारण ही 24 अप्रैल, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में बीबीपुर ग्राम पंचायत को गौरव ग्रामसभा के सम्मान से नवाजा गया है।

ग्रामसभा की बैठकों पर आयोजित विभिन्न शोध अध्ययनों में यह पाया गया कि इनमें सदस्य, विशेषकर कमजोर समुदाय और महिलाएं, बहुत कम संख्या में भाग लेते हैं। इससे रोचक बात यह है कि जो सदस्य इनकी सभा में भाग लेते हैं, वह मात्र औपचारिकता है। महिलाओं के सम्बंध में यह बात सत्य है, क्योंकि उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने का सांस्कृतिक धरातल अभी तैयार नहीं हुआ है। हरियाणा जैसे राज्य में जहां पर्दा प्रथा एवं महिला–पुरुष विषमता देखने को मिलती है, वहां ग्रामसभा का सफल आयोजन और वह भी भ्रूण हत्या के मामले पर निसंदेह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे पूरा करने के लिए युवा सरपंच का मनोबल, साहस, प्रेरणा और नेतृत्व क्षमता एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। देश की पहली महिला ग्रामसभा आयोजित करने का श्रेय इसी गांव की ग्रामसभा को जाता है और देश–विदेश के शोधकर्ता इस गांव में पहुंचकर इसका शोध अध्ययन कर रहे हैं।

बागवानी का कार्य, नर्सरी लगाना, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना आदि।

इन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए अकुशल श्रमिकों का पंजीकरण किया गया। समुचित जांच–पड़ताल के बाद मार्च, 2013 तक सिरसा जिले में लगभग 91000 जॉबकार्ड वितरित किए गए। इसके बाद सभी ग्राम पंचायतों ने अपने स्तर पर मांगे गए कार्यों का क्रियान्वयन आरम्भ किया। इस समय सभी ग्राम पंचायतों द्वारा इन कार्यों का क्रियान्वयन जारी है। इस अध्ययन में चयनित कालुआना ग्राम पंचायत की क्रियान्वयन प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार हैः–

कालुआना ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित कार्यों की प्रक्रिया की सूक्ष्म परीक्षा

यद्यपि जिले की सभी ग्राम पंचायतों के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्यों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा रहा है परन्तु कालुआना ग्राम पंचायत इस कार्य में अग्रणी है। इस ग्राम पंचायत को अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की सफलतम उपलब्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। इस योजना के क्रियान्वयन के प्रथम चरण अर्थात् 2 फरवरी, 2006 से इस गांव में विभिन्न विकास के कार्य चल रहे हैं। इस अधिनियम के अनुदेशों के अनुसार कालुआना ग्राम पंचायत योजना को लागू कर रही है। समय–समय पर इसके लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिरसा और हरियाणा ग्रामीण संस्थान, नीलोखेड़ी (करनाल) के अधिकारियों के द्वारा पंचायती राज प्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के क्रियान्वयन के विभिन्न चरण इस प्रकार हैंः–

कार्यों का ग्रामसभा द्वारा अनुमोदन करना

इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुमोदन ग्रामसभा करेगी। इसके आधार पर ग्राम पंचायत अपनी कार्ययोजना तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामसभा नरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण भी करेगी। इस सामाजिक अंकेक्षण में कार्यों के संचालन से सम्बंधित सभी कागज, दस्तावेज और प्रमाणपत्र जैसे मस्टर रोल, बिल, वाउचर, माप पुस्तिका, खाता पुस्तिका, मंजूरी आदेशों की प्रतिलिपि तथा लेखा सम्बंधी अन्य जरूरी कागजात ग्राम पंचायत ग्रामसभा को उपलब्ध कराएगी।

मनरेगा के अधीन सम्पन्न किए जाने वाले कार्यों की पहचान करने के लिए और उन पर ग्रामसभा का अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए सरपंच ने ग्रामसभा की बैठक बुलवाई। इस दौरान सभी उपस्थित ग्रामसभा सदस्यों ने कार्यों की पहचान करने के लिए काफी उत्साह दिखाया। सभी सदस्यों का ग्रामसभा की बैठक की प्रक्रिया के संचालन में सकारात्मक और उत्साहवर्धक योगदान था। इस दौरान गांव में मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की पहचान की गई और इस पर अमल किया गया।

जॉबकार्ड जारी करना

ग्रामसभा की बैठक में मनरेगा कार्यों की पहचान करने के बाद ग्राम पंचायत ने जॉबकार्डों के पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ की। मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुसार सभी आवेदक परिवारों के आवेदनों की जांच–पड़ताल की गई और इसके बाद सभी योग्य आवेदकों का पंजीकरण किया गया और उन्हें जॉबकार्ड वितरित किए गए। गांव की कुल जनसंख्या लगभग 8000 है। इस गांव में वर्ष 2006–07 से 31 मार्च, 2013 तक कुल 800 जॉबकार्ड वितरित किए गए।

रोजगार आबंटन और उनका प्रभाव

जॉबकार्डधारकों की मांग के अनुरूप ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्थलों पर रोजगार का कार्य उपलब्ध करवाया गया। इन जॉबकार्डधारकों की मांग के अनुसार वित्तवर्ष 2012–13 में 376 परिवारों को कार्य प्रदान किया गया है। ये कार्य गांव की 5 किलोमीटर सीमा के दायरे में ही प्रदान किए गए। इनमें मुख्य रूप से भूमि समतल करना, खेतों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना, सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण, पौधों की नर्सरी तैयार करना, गांव में स्वच्छता और जोहड़ खुदाई सम्मिलित हैं।

ग्रामीणों के सामाजिक–आर्थिक जीवन पर इन कार्यों का निर्णायक प्रभाव पड़ा है। इस गांव के सरपंच के शब्दों में, "इस योजना से ग्रामीण निवासियों के जीवन में मौलिक परिवर्तन हुआ है। अब तक की सभी योजनाओं में यह श्रेष्ठतम योजना है। इससे पूर्व गरीबी के कारण लोग आपस में एक–दूसरे से लड़ते–झगड़ते रहते थे और वह प्रतिदिन 3–4 मुकदमों का फैसला करता था। अब लोग मिलजुल कर आपस में सद्भावनापूर्वक रह रहे हैं। वे समूहों में काम करते हैं। इसलिए गांव के लोगों में कोई विवाद नहीं है।"

इस गांव के सर्वेक्षण के दौरान भी पाया गया कि गांव में सामाजिक सौहार्द है। मजदूर वर्ग अपनी आजीविका का अर्जन कर रहा है, जिससे उनका पूंजीपतियों और जमींदारों के द्वारा किया जाने वाला शोषण कम हुआ है। एक श्रमिक विनोद कुमार के अनुसार, "ग्रामवासी अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आमदनी कमा रहे हैं, वे बचत भी करने लगे हैं और अपने बच्चों को अच्छे विद्यालयों में पढ़ने के लिए भी भेज रहे हैं।" पंचायत भूमि के 68 एकड़ को समतल करने से पूर्व कोई भी ग्रामीण काश्तकार ठेके पर खेती करने के लिए 2,000 रुपये प्रति

एकड़ राशि अदा करने के लिए तैयार नहीं होता था परन्तु अब गांव में पंचायत भूमि की खेती की नीलामी के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होने लगी है। वर्तमान समय में भूमि को काश्त करने के लिए 18,000 रुपये प्रति एकड़ अदा किए जाते हैं। मनरेगा कार्यों के तहत गांववासियों की स्थायी आय का स्रोत बनाने के लिए एक चैक बांध का निर्माण भी किया गया है, जिससे 1,500 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है।

क्रियान्वित कार्यों का शोधात्मक अवलोकन

इस गांव में मनरेगा कार्यों का शोधात्मक मूल्यांकन करते हुए यह पाया गया कि मनरेगा की सफलता के लिए ग्रामीण आंचल में सत्ता व्यवस्था की निर्णायक भूमिका होती है। यदि गांव का सरपंच शिक्षित, समझदार और व्यापक दृष्टिकोण रखता हो तो गांव में विकास हो सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रामसभा के सदस्यों की रुचि और जागरुकता के स्तर का भी उतना ही प्रभाव पडता है। इन्हीं कारणों से गांव में वर्ष 2006–07 के दौरान 36 लाख रुपये, वर्ष 2007–08 के दौरान 67 लाख रुपये, वर्ष 2008–09 के दौरान 123 लाख रुपये, वर्ष 2009–10 में 130.67 लाख रुपये, वर्ष 2010–11 में 54.86 लाख रुपये, वर्ष 2011–12 में 116.22 लाख रुपये तथा वर्ष 2012–13 में 43.07 लाख रुपये की राशि को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों पर व्यय किया गया। इस गांव में महात्मा गांधी नरेगा के मौलिक उद्देश्यों के अनुरूप टिकाऊ सम्पत्तियों के सृजन और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका संसाधनों के लिए आधार को सुदृढ़ करने के तहत विभिन्न कार्यों का प्रबंधन किया गया। अधिकतम जॉबकार्डधारकों को काम मिला और उनके जीवन–स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आया। निःसंदेह इस अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह देखने को मिली कि गांव के लोगों में आपसी सहयोग बढ़ा है। इसी कारण से गांव के लोग गांव से संबंधित गतिविधियों में भी रुचि लेने लगे हैं। अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार खुशहाल है।

गांव में शिक्षा के स्तर में प्रचार–प्रसार करने के लिए सभी ग्रामीणों ने मिलकर चन्दा एकत्रित किया और एक निजी बस को किराए पर लिया जिसमें गांव के विद्यार्थी नजदीक के गांव के प्रतिष्ठतम विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं। इस कार्य के लिए उन्होंने "कालुआना शिक्षा कल्याण समिति" का गठन भी किया है। जो विद्यार्थी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते है, उनको विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण करवाया जाता है। गांव में स्वच्छता का प्रचार–प्रसार करने और संपूर्ण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को लागू करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिल चुका है जिसे भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्तूबर, 2008 को एक विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया था। गांव के सरपंच ने बताया कि जिले के तत्कालीन उपायुक्त की प्रेरणा और समर्पण से ही ऐसा संभव हो पाया है। अतः यह गांव सभी मामलों में सर्वोच्च गांव है।

इन सब सफलताओं के बावजूद गांव में कुछ समस्याएं भी हैं। गांव के विकास के लिए निर्धारित निधि को समय पर जारी नहीं किया जाता। इसके लिए खण्ड–स्तर ग्रामीण विकास अधिकारी मुख्यतः उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त सरपंच ने यह भी बताया कि गांव के सरपंच को मासिक पारिश्रमिक भी अदा किया जाना चाहिए क्योंकि यदि सरपंच खुद गरीब है तो वह ग्रामीण विकास के फंडों का दुरुपयोग कर सकता है।

हरियाणा राज्य के पिछड़े जिले सिरसा में कालुआना ग्राम पंचायत द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से ग्रामीणों की जिन्दगी में सुधार लाने के इस प्रयास ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस सफलता का श्रेय पंचायती राज प्रतिनिधियों की कर्त्तव्यपराणता और सभी ग्रामवासियों के सहयोग और सहभागिता को जाता है। इसी वजह से अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली है। इससे यह साबित होता है कि ग्रामीण नौकरशाही को ग्रामीणों के इस योगदान से शिक्षा लेनी चाहिए कि समर्पित ग्रामीण नागरिक और कर्त्तव्यपरायण ग्रामीण विकास अधिकारी ग्रामीण आंचल की काया पलट कर सकते हैं। इसलिए अधिकारियों को गांवों में क्षेत्रीय यात्रा करनी चाहिए और गांव के लोगों से बातचीत करके और उनकी समस्याओं का सूक्ष्म परीक्षण करके ही प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना चाहिए। उनको सहभागिता लघु नियोजन (पी.एम.पी.– पार्टिसिपिटरी माईक्रो प्लानिंग) का निर्माण स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप ही करना चाहिए न कि जिला कार्यालयों अथवा राज्यों की राजधानियों में शीत–ताप नियंत्रित कक्षों में बैठकर। यदि विकास अधिकारी और समर्पित ग्रामवासी परस्पर संवाद के आधार पर निर्णय लेते हैं और उन्हें ईमानदारी से क्रियान्वित करते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वराज के सपने को साकार किया जा सकता है। उन्होंने अपने स्वराज के स्पप्न को इस प्रकार व्यक्त किया था"... सच्चा स्वराज मुट्ठीभर लोगों के द्वारा सत्ता प्राप्ति से नहीं आएगा, बल्कि सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की सूरत में उसका प्रतिरोध करने की जनता की सामर्थ्य विकसित होने से आएगा" (यंग इण्डिया, 10 फरवरी, 1927)।

(लेखक क्रमशः अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं शोधकर्ता, लोक प्रशासन विभाग, चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा (हरियाणा) में कार्यरत हैं।)
ई–मेल : rajkumarsiwach@gmail.com एवं
ई–मेल : sunil07_kamboj@yahoo.co.in

In Association with

ETEN IAS
Institute for Administrative Services

ALS IAS

India's largest IAS Coaching Network

UPSC CIVIL SERVICES EXAM 2014

PRELIMS 2014: GENERAL STUDIES & CSAT
MAINS, OPTIONAL (Geog, Pub Ad)
MOCK TEST SERIES & INTERVIEW

(English & हिन्दी माध्यम)

INDIA'S BEST IAS MENTORS

MR. JOJO MATHEWS

MR. MANISH GAUTAM

MR. SHASHANK ATOM

MR. MANOJ K. SINGH

1464 RANKS IN LAST 12 YEARS

161 successful candidates in 2013

ALOK RANJAN JHA

ALL INDIA RANK 1
2001 Exam

S. NAGARAJAN

ALL INDIA RANK 1
2004 Exam

RUKMANI RIAR

ALL INDIA RANK 2
2011 Exam

ANUPAMA T V

ALL INDIA RANK 4
2009 Exam

ADMISSION OPEN. LIMITED SEATS.

Call: 9654200517/23 | **Toll free:** 1800-1038-362 | **Email:** csp@etenias.com | **Website:** www.etenias.com

ETEN IAS CENTRES: Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Bilaspur, Chandigarh, Chennai, Cochin, Dimapur, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Jaipur, Jammu, Jodhpur, Kanpur, Kohima, Kolkata, Lucknow, Nagpur, Patna, Pune, Raipur, Shillong, Srinagar, Vijaywada, Trivandrum

ALWAYS LEARNING

PEARSON

KH-293/2013

राजस्थान में खजूर की खेती

मनोहर कुमार जोशी

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र वाले जिलों में सरकार ने प्रगतिशील किसानों को टिश्यू कल्चर तकनीक से खजूर की खेती की ओर मोड़ने का सराहनीय प्रयास किया है जिससे खजूर उत्पादन में आशा की नई किरण दिखाई देने लगी है। शुष्क जलवायु में होने वाली खजूर की खेती के लिए राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, नागौर जिले उपयुक्त पाए गए हैं तथा प्रदेश के जालौर, पाली, सिरोही एवं झुंझुनूं जिलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

खजूर के वृक्ष एक ओर जहां अत्यधिक गर्मी सहन कर सकते हैं वहीं दूसरी ओर सर्दी में शून्य से 3–4 डिग्री नीचे तापमान के दौरान पड़ने वाले पाले का असर भी इन पर खास नहीं पड़ता। साथ ही यहां के खारे, लवणीय तथा क्षारीय जल से सिंचाई भी हो सकती है। इन जिलों के उन इलाकों में, जहां अन्य पैदावार नहीं हो सकती, वहां खजूर की खेती आसानी से हो सकती है।

इस समय प्रदेश में 500 हेक्टेयर पर टिश्यू कल्चर तकनीक से किसानों ने तथा राजकीय फार्मों पर 130 हेक्टेयर में खजूर के पेड़ उगा रखे हैं। इन पेड़ों के लिए विदेशों से टिश्यू कल्चर तकनीक वाले पौधे मंगवाकर सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। पौधा रोपण के लिए सरकार 90 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को पौधे उपलब्ध कराती है। अब तक 300 से भी अधिक किसानों ने इसके प्रति रुचि दिखाई है और पौधारोपण किया जा रहा है। खजूर के बगीचे लगाने के लिए और भी किसान आगे आ रहे हैं। कुछ जिलों में किसानों के खेतों में खजूर का उत्पादन भी पिछली गर्मियों में हुआ है और किसानों ने इसे 60 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गुजरात में बेचा है।

आगामी गर्मी के मौसम में अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई गई है। खजूर के पेड़ चार साल के होने के बाद फल देने लग जाते हैं। इन जिलों में चार वर्ष पूर्व टिश्यू कल्चर तकनीक से विकसित पौधे लगाए थे जो पेड़ बन गए हैं। खजूर के पेड़ों से फलोत्पादन के अलावा घरों में सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले झाड़ू भी बनाए जाते हैं। राज्य में बांसवाड़ा जिले के जानामेडी गांव में ग्रामीण खजूर के झाड़ू बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं।

खजूर की खेती को बढ़ावा देने एवं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जोधपुर के चौपासनी में राजहंस नर्सरी में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित की गई है। निजी सहभागिता एवं विदेशी प्रौद्योगिकी की सहायता वाली इस प्रयोगशाला के पूर्ण उत्पादन क्षमता में आने के बाद प्रति वर्ष खजूर के करीब ढाई लाख पौधे तैयार कर प्रदेश एवं देश में खजूर के पौधों की मांग को पूरा किया जा सकेगा। खजूर में नर एवं मादा पौधे अलग–अलग होते हैं। बीज द्वारा खजूर के पौधे उगाने पर नर पौधे उगने की संभावना 50 फीसदी तक रहती है जिससे किसी प्रकार के फल पैदा नहीं होते। इसलिए खजूर के बगीचे लगाने के लिए टिश्यू कल्चर तकनीक कारगर बताई जाती है। जैसलमेर जिले के सगरा भोजका में राजकीय खजूर पौध प्रदर्शन फार्म पर एक करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से निर्मित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खजूर उत्पादन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 14 करोड़ 51 लाख रुपये से खजूर के अलावा अनार एवं नींबूवर्गीय फलों पर इजराइली तकनीकी से तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाने हैं। इस क्रम में जैसलमेर में स्थापित खजूर उत्कृष्टता उत्पादन केन्द्र एक है।

सगरा भोजका फार्म पर 90.39 हेक्टेयर एवं मैकेनाइज्ड कृषि फार्म खारा बीकानेर पर 39.61 हेक्टेयर कुल 130 हेक्टेयर में खजूर के टिश्यू कल्चर से उत्पादित पौधों की मातृवृक्ष प्रोजनी विकास कार्यक्रम को किया जाना है। खजूर की खेती के जानकारों के अनुसार खजूर के पौधों पर सकर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं बनने से वृहद स्तर पर विस्तार के लिए पर्याप्त संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करना चुनौती है। टिश्यू कल्चर तकनीक ही इसका समाधान बन सकती है। यह तकनीक यदि फलीभूत होती है तो देश के लिए वरदान साबित होगी तथा हमें खजूर का आयात कम करना पड़ेगा। भारत विश्व में खजूर का सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश है। विश्व में निर्यात किए जाने वाले खजूर का 50 प्रतिशत हिस्सा यहां आता है।

दुनिया में खजूर के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। ईराक, मिस्र, ईरान, सउदी अरब, पाकिस्तान, अल्जीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, ओमान खजूर के कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। हालांकि खजूर उत्पादक यह देश उत्पादन की अधिकांश मात्रा का उपभोग खुद ही कर लेते हैं। मुश्किल से दस प्रतिशत हिस्सा निर्यात करते हैं। इसमें से आधा हमारा देश खरीदता है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक विश्व में 11 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 70 लाख टन खजूर के फलों की पैदावार हो रही है तथा साल–दर–साल इसकी मांग बढ़ने से खेती का रकबा और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो रही है। भारत में गुजरात के कच्छ भुज क्षेत्र में प्रगतिशील किसानों ने खजूर की खेती के प्रति उत्साह दिखाया है और वहां अनेक किसान वृहद–स्तर पर खजूर के बगीचे लगाकर खजूर की पैदावार लेने लगे हैं। भुज के प्रगतिशील किसान जयंती ठक्कर, राहुल गाला, बटूकसिंह, गोविन्द गोरसिया का मानना है कि अन्य बागवानी फसलों की अपेक्षा खजूर की खेती में आकर्षक आमदनी प्राप्त होती है। इन लोगों ने अपने खेतों में खजूर के टिश्यू कल्चर पौधे लगाकर खजूर के बगीचे तैयार किए और अब अच्छी फसल लेने लगे हैं। ये किसान

अपने फार्महाउस पर खजूर की तुड़ाई, छंटनी, पैकिंग और विक्रय का काम खुद करते हैं और गुणवत्ता के अनुसार 80 रुपये से 250 रुपये प्रति किलो तक की दर से खजूर बेच रहे हैं। खजूर के पेड़ों के बीच इंटर क्रॉपिंग के रूप में पपीते की फसल भी लेते हैं। खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के कृषि विज्ञान केन्द्र, मुंदड़ा पर खजूर के फलों का प्रदर्शन एवं प्रदर्शनी भी लगाते हैं।

राजस्थान के उद्यान विभाग ने करीब पांच वर्ष पूर्व जब गुजरात के भुज में जाकर इसकी खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उन्हें लगा कि जिस तरह की जलवायु कच्छ भुज में है ऐसी ही मिट्टी, पानी एवं आबोहवा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में भी है तथा यहां भी इसकी खेती के लिए खजूर के बगीचे लगाए जा सकते हैं। बाद में गुजरात के नवाचारों को राज्य के संभावित क्षेत्रों में त्वरित गति से अपनाया गया। कुछ प्रयोगधर्मी कृषक आगे आए और खजूर की खेती के लिए उजली तस्वीर दिखाई देने लगी। उद्यान विभाग के अधिकारियों के अनुसार अब राज्य में भी खजूर की खेती एवं इसके बगीचे लगाने के प्रति लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है तथा उनके द्वारा हिस्सा राशि जमा कराने के बाद विभाग द्वारा अनुमानित दर पर खजूर के पौधे उपलब्ध करा दिए जाते हैं।

हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के अजयपाल सिंह बताते हैं कि राजस्थान में सही रूप से खजूर की खेती कर पैदावार ली जाए तो असीम संभावनाएं हैं। इस राज्य के लोग मालामाल हो सकते हैं बस थोड़े धैर्य और सही तकनीक की जरूरत है। हमारे किसान भाई सब्र करना नहीं जानते। कभी ग्वार की ओर देखते हैं तो कभी अन्य किसी फसल की तरफ। उन्होंने कहा कि इसकी एक वजह किसानों की गरीबी भी है। खजूर की खेती पर सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान मिलने के बावजूद किसानों को काफी पैसा लगाना पड़ता है। मैंने पीलीबंगा में 125 बीघा में और गंगानगर में करीब 25 बीघा पर वर्ष 2009–10 में खजूर के पौधे उगाए थे। इन पौधों से इस वर्ष पहली बार व्यावसायिक तौर पर पैदावार लूंगा। हालांकि गत वर्ष कुछ फल आए थे लेकिन उन्हें पहले ही तोड़ दिया ताकि पौधों की बढ़तवार अच्छी हो सके। उन्होंने कहा कि आज मेरे खेत पर पांच हजार से अधिक खजूर के पेड़ हैं जो करीब तेरह लाख के हैं। बरही किस्म की खजूर के इन पेड़ों के पौधे जोधपुर में उद्यान विभाग से 90 फीसदी अनुदान पर 250 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से खरीद कर लगाए थे। बूंद–बूंद सिंचाई की व्यवस्था पर भी खर्चा आया है हालांकि इस पर भी सरकार से अनुदान मिला है। पर इसके अलावा बगीचे की तारबंदी पांच साल तक पेड़ों की देखभाल आदि का खर्च भी कम नहीं होता। पेड़ों पर फूल आने पर परागण क्रिया करवानी पड़ती हैं। मेरे पास 100 मेल प्लांट हैं। इन पर आने वाले फूलों से फीमेल पौधों पर आने वाले फूलों से परागण करवाना पड़ता है।

वे कहते हैं कि बगीचे में 12 से 14 फुट ऊंचे खजूर के पेड़ हो गए हैं। फरवरी से इस पर फूल आने लग जाएंगे और जुलाई में फल टूटेंगे अर्थात पैदावार लूंगा। प्रति पेड़ 30 से 40 किलो तक खजूर के फल आने की उम्मीद है। पैदावार की बिक्री के लिए अभी से मार्केट तलाश ली है। मै अपना उत्पादन ऐसे–वैसे नहीं बेचूंगा। खरे माल का खरा पैसा। दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद आदि में खरीददारों से सम्पर्क में हूं। 150 रुपये प्रति किलो की दर से अच्छी किस्म एवं गुणवत्ता वाली खजूर बिक जाएगी। आने वाले वर्षों में खजूर के फलों को निर्यात करने की मेरी योजना है। मेरे एक मित्र सुखदेव ने भी बीकानेर में एक सौ बीघा में खजूर के पौधे लगाए हैं और हम सही दिशा में चल रहे हैं। जबकि कुछ किसानों ने इसकी खेती को अच्छी तरह नहीं अपनाया। वे ठेले वालों को 70–80 रुपये किलो के भाव से अपनी फसल बेच खुश हो जाते हैं जो सही तरीका नहीं कहा जा सकता। यह खुशहाली व समृद्धि के द्वार तक नहीं ले जाता।

पाकिस्तान की सीमा से लगते राजस्थान के बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के आलमसर गांव में सादुलाराम चौधरी एवं उनके पुत्र सुरेन्द्र को अपने खेत में खजूर के पेड़ लगाने में सफलता मिली है। इनका कहना है कि शुरुआत में कुछ परेशानियां

अवश्य आयी परन्तु अब हम सफलता की कहानी बताने की स्थिति में हैं। इनका कहना है कि हमने कृषि विभाग की बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत चार साल पहले दो हेक्टेयर में खजूर के 550 पौधे लगाए थे। ये पौधे ईरान की बरही और मोरक्को की मेडजुल किस्म की खजूर के हैं। इन पौधों के रोपण के मात्र तीन साल बाद इन पर फल लगने शुरू हो गए। जबकि आमतौर पर चार साल के बाद खजूर के पौधों से फलोत्पादन होने लगता है। प्रगतिशील कृषक श्री चौधरी बूंद–बूंद सिंचाई पद्धति से बहुत ही कम पानी का उपयोग करते हुए खजूर के बगीचे में सिंचाई करते हैं और गत फसल वर्ष में बम्पर पैदावार ले चुके हैं। श्री सादुलाराम जिले में खजूर की खेती करने वाले पहले सफल किसान बताए जाते हैं।

इसी तरह राज्य के हनुमानगढ़ जिले के हरीपुरा गांव के बलीराम पाण्डे ने अपनी 80 बीघा जमीन पर 3120 पौधे खजूर के उगा रखे हैं। वे बताते हैं पांच वर्ष पूर्व मैंने खजूर की बरही किस्म के पौधे जोधपुर से खरीदे थे जिस पर 90 प्रतिशत सरकार से अनुदान मिला था। पिछले वर्ष कुछ पौधों पर फल आए थे। अनुमानतः यह फल प्रति पौधा 15 से 20 किलो थे जिसे बीकानेर, जयपुर, दिल्ली, भटिण्डा, हनुमानगढ़ में बेचा था। खजूर के फलों से 50 हजार रूपये की कमाई हुई थी। इस बार अप्रैल के बाद आने वाले मौसम में अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। इसी प्रकार प्रदेश के पीलीबंगा, बीकानेर, बाड़मेर के प्रगतिशील और प्रयोगधर्मी किसान अपने खेतों में नवाचार और नवोन्मेषी कार्यक्रम को अपनाकर बागवानी खेती को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं।

बाड़मेर के गिरधारी लाल जांगिड़ ने भी अपनी 30 बीघा भूमि पर खजूर के 500 पौधे लगा रखे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले फसल वर्ष में खजूर की पैदावार होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह पौधे मैंने जोधपुर में उद्यान विभाग से लिए थे जिस पर सरकारी नियमानुसार अनुदान मिला था। श्री जांगिड़ ने इसके अलावा 250 पौधे अनार के भी उगा रखे हैं।

इस रेगिस्तानी प्रदेश में मेडजुल एवं बरही किस्म की खजूर के पौधे यहां की जलवायु के अनुकूल माने जा रहे हैं। बरही किस्म की खजूर की गिनती बढ़िया खजूर में होती है। इसे अंग्रेजी में हनी बॉल यानी शहद का गोला कहा जाता है। खजूर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सर्दियों में इसका उपभोग स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है।

(लेखक संवाद समिति यूनीवार्ता के जयपुर कार्यालय में कार्यरत हैं।)
ई–मेल : manoharjoshi46@yahoo.com

फार्म 4
(कृपया नियम देखें)

1. प्रकाशन का स्थान	: नई दिल्ली
2 प्रकाशन अवधि	मासिक
3. मुद्रक का नाम	: सुश्री ईरा जोशी
(क्या भारत का नागरिक है?)	: हां
यदि विदेशी है तो मूल देश)	: –
पता	: प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
	: सीजीओ काम्प्लैक्स, लोदी रोड,
	: नई दिल्ली–110003
4. प्रकाशक का नाम	: सुश्री ईरा जोशी
(क्या भारत का नागरिक है?)	: हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	: –
पता	: प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
5. संपादक का नाम	: श्री कैलाश चन्द मीना
(क्या भारत का नागरिक है?)	: हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	: –
पता	: कमरा न. 655/661, 'ए' विंग, गेट न. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली–110011
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार–पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हो।	: सूचना और प्रसारण मंत्रालय पूर्ण साझेदार है

मैं ईरा जोशी एतद् द्वारा घोषित करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

हस्ता/–

(ईरा जोशी)
प्रकाशक

खारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने की संभावनाएं

हरनारायण मीना

भारत में लगभग 6.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवणग्रस्त है। इन लवणग्रस्त मृदाओं को मुख्यतः दो वर्गों–क्षारीय एवं लवणीय में विभाजित किया गया है। नमक प्रभावित मिट्टी से अतिरिक्त नमक को जब तक कम या हटाया नहीं जाता तब तक यह अनुत्पादक होती है और यह समस्याग्रस्त मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। इस प्रकार की मिट्टी शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु में सबसे बड़े पैमाने पर पाई जाती है। नमक प्रभावित मिट्टी का प्रभाव कई क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और यह तेजी से दूर-दूर तक फैलती जा रही है। खारी मिट्टी समुद्रतटीय क्षेत्रों में भी समुद्र के पानी से जलमग्न होने के कारण काफी प्रभावित पाई जाती है। नमक प्रभावित मिट्टी का प्रभाव कई क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और यह तेजी से दूर-दूर तक फैलती जा रही है।

हमारे देश की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसी तेजी से भूमि का उपयोग भी बढ़ रहा है लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले पानी आपूर्ति के स्रोत बड़े ही सीमित होते जा रहे हैं और घुलनशील लवणों के साथ तेजी से प्रदूषित होते जा रहे हैं। अंधाधुंध भूजल दोहन हमारे देश में लवणता प्रवेश की दयनीय और चिंताजनक समस्या के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसके अलावा बाढ़ के कारण पानी इकट्ठा होना और भूजल या नहर के पानी के माध्यम से अत्यधिक सिंचाई, फ्लैट स्थलाकृति और कमजोर जल निकास भी लवणता की समस्या को बढ़ावा देता है।

भारतीय उपमहाद्वीप की 7500 किलोमीटर लंबाई वाली तट रेखा है और देश की 25 प्रतिशत आबादी तटीय क्षेत्र में ही रहती है। देश के अन्य भागों की तुलना में ज्यादातर शहरी केंद्र भी तटों के साथ ही स्थित हैं और चार महानगरों में से तीन तट पर ही स्थित हैं। देश में औद्योगिकीकरण भी तटीय क्षेत्र में ही सबसे अधिक है। समुद्रतटीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रौद्योगिकीय कारक कृषि उत्पादकता

को सीमित करने को विवश कर रहे हैं इनमें मुख्य कारक हैं–

- अतिरिक्त घुलनशील लवणों का संचय और मिट्टी में क्षारीयता।
- एसिड सल्फेट मिट्टी का प्रभुत्व, मिट्टी में विषाक्तता और पोषक तत्वों की कमी।
- तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल की घुसपैठ।
- ज्वारीय पानी से मिट्टी की सतह पर आवधिक पानी का सैलाब।
- कई क्षेत्रों में भारी या कठोर मिट्टी बनावट और मिट्टी में पानी के रिसाव में कमी।
- मिट्टी का कटाव और अवसादन।
- उच्च जनसंख्या घनत्व इत्यादि।

भारत में नमक प्रभावित मिट्टी का क्षेत्रफल

राज्य	लवणीय	क्षारीय	कुल
गुजरात	1680570	541430	2222000
उत्तर प्रदेश	21989	1346971	1368960
महाराष्ट्र	184089	422670	606759
पश्चिम बंगाल	441272	0	441272
राजस्थान	195571	179371	374942
तमिनाडु	13231	354784	368015
आंध्र प्रदेश	77598	196609	274207
हरियाणा	49157	183399	232556
बिहार	47301	105852	153153
पंजाब	0	151717	151717
कर्नाटक	1893	148136	150029
ओडिसा	147138	0	147138
मध्य प्रदेश	0	139720	139720
अंडमान निकोबार	77000	0	77000
केरल	20000	0	20000
जम्मू –कश्मीर	–	17,500	17,500
कुल	**2956809**	**3770659**	**6727468**

खारी मिट्टी का गठन

वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी खारी होती है उसको शेले नायीजेस्न प्रक्रिया कहते हैं। शुष्क और अर्ध–शुष्क जलवायु में खारी मिट्टी का गठन होने का कारण सिर्फ कम वर्षा उपलब्ध होना ही नहीं है। इसके साथ–साथ उच्च वाष्पीकरण का होना भी खारी मिट्टी के गठन में बराबर हिस्सेदार है क्योंकि कम वर्षा होने के कारण घुलनशील लवण पानी के साथ जड़ क्षेत्र से नीचे नहीं जा पाते बल्कि उच्च वाष्पीकरण होने के कारण घुलनशील लवण पानी के साथ–साथ ऊपर आ जाते हैं और जमीन की सतह पर जमा हो जाते हैं। प्रतिबंधित जल निकास भी आमतौर पर मिट्टी के शेले नायीजेस्न के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मुख्य कारण एक उच्च भूजल तालिका या मिट्टी की कम पारगम्यता की उपस्थिति का होना माना जाता है। मिट्टी की कम पारगम्यता के कारण मिट्टी के अन्दर पानी आसानी से नहीं जा पाता है और जलनिस्तारण की समस्या पैदा हो जाती है। कम पारगम्यता एक प्रतिकूल मिट्टी बनावट या संरचना या परतों की उपस्थिति का नतीजा हो सकती है। हालांकि चट्टानों और प्राथमिक खनिजों का अपक्षय सभी लवण का मुख्य स्रोत होता है। खारी मिट्टी के गठन के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक इस प्रकार हैं–

खारे भूजल का प्रयोग

भूजल में घुलनशील लवणों की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती हैं जोकि भूवैज्ञानिक पदार्थों की प्रकृति और गुणों पर निर्भर करता है। सिंचाई पानी में उच्च लवणता होने के कारण जड़ क्षेत्र में लवणों की वर्धनता पैदा हो जाती है। खासकर यह तभी होता है जबकि मिट्टी की आंतरिक जल निकासी या लीचिंग प्रतिबंधित हो या वर्षा और लागू सिंचाई की मात्रा अपर्याप्त हो।

सिंचाई पानी

उचित प्रबंधन (जल निकासी और लीचिंग सुविधाओं की कमी) के बिना खेत में सिंचाई करने से भूजल स्तर ऊपर आ जाता है और मिट्टी की सतह पर नमक की मात्रा बढ़ जाती है।

खारा रिसाव

ऐसी परिस्थिति अत्यधिक लीचिंग और कम वाष्पीकरण होने का परिणाम है जोकि उन जगहों पर होती है जहां पर फसल पद्धति में बदलाव किया जाता है जैसे कि प्राकृतिक जंगल, वनस्पति या परती पड़ी हुई जमीन में अनाज की खेती प्रणाली की शुरुआत के लिए भूमि को उपयोग में लिया जाए। जब पानी लगातार खारे अवसादों से गुजरता हुआ जमीन में रिसाव करता है तो कुछ समय के बाद अभेद्य क्षैतिज परतों से रोक दिया जाता है। लगातार यह प्रकिया होने के कारण पानी जमीन में पार्श्वतः (आड़ा–तिरछा) बहने लगता है और धीरे–धीरे मिट्टी की सतह तक पहुंच जाता है। इसके बाद पानी का वाष्पीकरण होने के कारण लवण जमीन की सतह पर जमा हो जाते हैं।

समुद्र के पानी का प्रवेश

जमीन में लवणता की समस्या की वजह समुद्री लहर, भूमिगत जलभृतों और हवा परिवहन के माध्यम से नमक स्प्रे के

द्वारा समुद्र के पानी के प्रवेश से भी होती है। पृथ्वी की सतह पर समुद्री तलछट के माध्यम से समुद्र से घुलनशील लवणों का स्थानांतरण लगातार भूमि और समुद्र के बीच होता रहता है। अर्द्धशुष्क क्षेत्र, जहां की कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित है, वहां पर लवणता की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। यदि वर्षा और वाष्पीकरण लगभग बराबर हो और जड़ क्षेत्र में घुलनशील लवण समुद्री अवसाद या अन्य स्रोतों से मौजूद हो।

रिसाव

सिंचाई चैनलों से रिसाव, फसलों की वाष्पीकरण जरूरतों से अधिक मात्रा में सिंचाई का इस्तेमाल किया गया हो और किसी क्षेत्र में नए विकास कार्य के द्वारा प्राकृतिक जल निकासी में अवरोध भूजल में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये अतिरिक्त अवभूमि भूजल में जल–स्तर बढ़ा देते हैं और जब जल–स्तर 1–2 मीटर हो जाता है तब मिट्टी की सतह से वाष्पीकरण जड़ क्षेत्र में लवणता की समस्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

लवण का पुनर्वितरण

लवणों का स्थानीयकृत पुनर्वितरण अक्सर लवणता समस्याएं पैदा करने का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। घुलनशील लवण उच्च ऊंचाई से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, गीले से शुष्क क्षेत्रों, सिंचित से असिंचित खेतों में स्थानांतरित होने लगते हैं। इसके साथ–साथ लवण (साल्ट) सड़कों और रेल लाइनों के निर्माण या अन्य विकासात्मक गतिविधियों के निर्माण की वजह से प्रतिबंधित प्राकृतिक जल निकासी के साथ क्षेत्रों में जमा होने लगता है। इसके बाद इस स्थिर जल का वाष्पीकरण मिट्टी की सतह पर लवण की काफी मात्रा छोड़ देता है।

मूलभूत उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग

सोडियम नाइट्रेट (NaNO3) और बेसिक स्लग जैसे बुनियादी उर्वरकों का उपयोग भी मृदा लवणता में विकास करते हैं।

नमक प्रभावित मिट्टी की समस्याएं

खारी मिट्टी पौधों की वृद्धि में विभिन्न कारणों से बाधक है–

- मिट्टी आमतौर पर बंजर होती है लेकिन उत्पादन की क्षमता रखती है।
- खारी मिट्टी का गुणांक कारक बहुत अधिक होता है।
- मिट्टी में नमी की उपलब्धता काफी कम होती है।
- पौधे की जड़ें आमतौर पर जड़ कोशिकाओं में झिल्ली के माध्यम से जल अवशोषित करती हैं।
- असमसका (ओसमोसिस) एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पानी एक अर्द्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से निम्न–स्तर नमक स्तर घोल से उच्च–स्तर की तरफ स्थान परिवर्तन करता है।
- यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोशिकाओं में पूर्ण संतुलन स्थापित हो जाता हैं।

जब मिट्टी के घोल में अत्यधिक लवण हो जाते हैं तो मिट्टी में दबाव कोशिका रस की तुलना में बढ़ जाता है। यह प्रभाव मिट्टी में पानी पकड़ के संभावित बलों को बढ़ाता है और इसे पौधे की जड़ों द्वारा नमी निकालने के लिए और अधिक कठिन बनाता है। यदि फसल चक्र के दौरान सूखे जैसी परिस्थिति आ जाती है तो लवणों की सांद्रता ज्यादा होने के कारण जड़ों से पानी मिट्टी में आने लगता है और कुछ समय के बाद पौधा मरने लगता है।

उच्च नमक सांद्रता होने के कारण पौधों को पानी अवशोषित करने के लिए सक्रिय साइटों से नमक बाहर करने के लिए

सतह पर ताजा पानी भर दिया जाता है और उसको रिसाव के लिए छोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया उसी परिस्थिति में कारगर होती है जहां मिट्टी में नमी की मात्रा कम एवं जल–स्तर गहरा होता हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान यह प्रक्रिया कम प्रभावी होती है क्योंकि पानी बड़ी मात्रा में वाष्पीकरण से उड़ जाता है। लेकिन कहीं–कहीं यह गर्मियों के महीनों के दौरान ही प्रभावी होती है क्योंकि इस समय मिट्टी में नमी की मात्रा काफी कम एवं जल–स्तर काफी गहरा होता है जिसके कारण घुलनशील लवण जड़ क्षेत्र से काफी नीचे चले जाते हैं।

लवणीय मृदा में जल प्रबंधन

भूमि की तैयारी : जमीन पूरी तरह से समतल होनी चाहिए जिससे कि जल निकास आसानी से हो सके और छोटे–छोटे गड्ढों में पानी इकट्ठा न हो सके। इससे क्षेत्र में समान रूप से सिंचाई पानी लागू करने में मदद मिलेगी। इसके साथ–साथ बीज का अंकुरण और फसलों के विकास में बेहतर सहायता मिलेगी। जमीन की तैयारी के समय यह जरूर ध्यान में रखे कि भारी बनावट मिट्टी में समसामयिक गहरी जुताई करने से जमीन के अन्दर पानी का रिसाव अच्छा हो जिसके कारण सिंचाई देने से घुलनशील लवण आसानी से जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं।

अनुकूल मौसम : सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें (गेहूं, सरसों और जौ), गर्मी में उगाई जाने वाली फसलों (बाजरा, ज्वार और मूंगफली) से ज्यादा खारा पानी का उपयोग करने के लिए सहिष्णु होती हैं। इसके अलावा, मिट्टी प्रोफाइल मानसून लीचिंग के बाद लवण से लगभग मुक्त रहती है और जमीन से वाष्पीकरण भी सर्दी के मौसम में कम होता है जिसके कारण लवण मिट्टी की सतह पर जमा नहीं हो पाते हैं।

सिंचाई अंतराल : कम अंतराल में की गई सिंचाई लंबे अंतराल में की गई सिंचाई की तुलना में बेहतर होती है क्योंकि पूर्व मामले में, मिट्टी में पानी की मात्रा एक सीमित दायरे के भीतर उतार–चढ़ाव की अनुमति देती है जो मिट्टी के संभावित मैट्रिक्स क्षेत्र की क्षमता के करीब होता है। ऐसे मामलों में, मिट्टी में पानी की उच्च क्षमता के हानिकारक प्रभाव नमकीन मिट्टी में कम हो जाते हैं और इसलिए लवणता संकट की विशेषताओं को दूर किया जा सकता है।

अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसके साथ–साथ आवश्यक तत्वों की भी कमी हो जाती है।

जब घुलनशील लवण की सांद्रता उच्च–स्तर तक बढ़ने लगती है तो पौधों पर सीधे विषाक्त प्रभाव शुरू होने लगता है और बीज अंकुरण निषेध जड़ आघात जैसी समस्या पैदा या खड़ी हो जाती है।

नमकीन मिट्टी का प्रबंधन

स्क्रपिंग

यांत्रिक तरीकों से मिट्टी की सतह पर जमा हुआ नमक खुर्पी या फावड़े की सहायता से खुरच करके हटाया जा सकता है। किसानों ने इस प्रक्रिया का सहारा लिया है लेकिन इससे सीमित सफलता मिलती है। इस विधि से अस्थायी रूप से फसल विकास में सुधार हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी एक बड़ी समस्या बनी रहती है।

निस्तब्धता

जमीन की सतह पर एकत्रित नमक की मात्रा को पानी की निस्तब्धता (Flushing) द्वारा भी कम किया जा सकता है। यह विधि ऊपर दी हुई विधि से ज़्यादा कारगर है।

लीचिंग

यह प्रक्रिया अब तक मिट्टी में जड़ क्षेत्र से लवण दूर करने के लिए सबसे प्रभावी साबित हुई है। इस प्रक्रिया में मिट्टी की

फसलों का निषेचन : सामान्यतया मिट्टी में कम कार्बनिक पदार्थ होने के कारण यह बहुत जरूरी है कि फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उर्वरक जमीन में डाली जाए। पोटाश उर्वरक मृदा लवणता के तहत एक अतिरिक्त लाभ पहुंचाता है और सोडियम तत्व के अवशोषण को कम करके पोटाश तत्व के अवशोषण को बढ़ा देता है जिससे कि फसल की उत्पादकता बढ़ जाती हैं।

फाईटोरमीडीयेस्न : जिन क्षेत्रों में पानी से लवणों की लीचिंग संभव नहीं है उन क्षेत्रों में मध्यम लवणता को सहन करने वाली फसलें बोना एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है और गहरी जड़ों वाले पौधे, जिनकी वाष्पीकरण क्षमता बहुत अधिक हो, लगाने चाहिए क्योंकि ये जैविक जल निकासी का कार्य करते हैं एवं जो जमीन पूरी तरह से खराब हो चुकी हो, जिसका कोई प्रबंधन न किया जा सके, उस जमीन में उच्च सहिष्णुता वाले पेड़ एवं झाड़ियों वाली प्रजातियों को लगा देना चाहिए।

फसल प्रतिस्थापन : अधिकांश कृषि फसलों का जड़ क्षेत्र में घुलनशील लवणों की सहिष्णुता के प्रति व्यवहार अलग–अलग होता है इसलिए ऐसी फसलों/किस्मों का चयन करना चाहिए जो खारे पानी की सिंचाई जैसी परिस्थितियों में संतोषजनक पैदावार का उत्पादन कर सकें क्योंकि सबसे कम और सबसे ज्यादा संवेदनशील फसलों के बीच सहिष्णुता में अंतर 8–10 गुना तक हो सकता है। इसलिए मध्यम से उच्च सहिष्णुता और कम पानी की जरूरत वाली फसलों का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए सरसों एक नमक सहिष्णु फसल है और इसको बोने के बाद एक–दो सिंचाई की ही आवश्यकता होती है।

अवशेष प्रबंधन : मिट्टी की सतह पर फसल अवशेष डालने से पानी का वाष्पीकरण सीमित या घट जाता है जिसके कारण लवण पानी के साथ जमीन की सतह पर नहीं आ पाते हैं। ऐसा करने के लिए कम से कम 30–50 प्रतिशत मिट्टी अवशेषों से ढकी हुई होनी चाहिए। फसल अवशेषों के तहत मिट्टी गीली रहती है और वर्षा के पानी को लवण की लीचिंग के लिए अधिक प्रभावी रूप से अन्दर जाने देता है। ड्रिप सिंचाई के साथ इस्तेमाल प्लास्टिक पलवार भी प्रभावी ढंग से वाष्पीकरण को कम करती है।

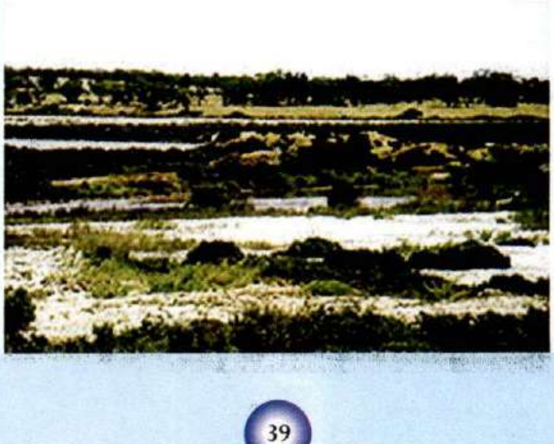

उपसतह ड्रिप सिंचाई जड़ क्षेत्र से लवणों को दूर कर देता है जिसके कारण अंकुरित पौध और पौध की जड़ों पर हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है।

वर्षा जल संचयन – स्थानीयकृत बारिश के पानी को छोटे टैंकों और खेत में तालाब बना करके जमा किया जा सकता है और इस पानी को फसल की क्रांतिक अवस्थाओं में सिचाई के लिए काम में लेना चाहिए।

सिंचाई के तरीके

भूतल सिंचाई : सतह सिंचाई विधि में यदि मिट्टी और पानी की गुणवत्ता ठीक हो तो पानी के असमान जल वितरण से फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन यदि सिंचाई का पानी खारा हो और नमक की सांद्रता फसल की सहिष्णुता के स्तर तक पहुंच जाए तो अनियमित जल वितरण जड़ क्षेत्र में गंभीर लवणता का संकट पैदा कर देता है और यदि खारे पानी की सिंचाई की मात्रा ज्यादा हो जाए तो नमक की सांद्रता बढ़ने के साथ–साथ जमीन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कुण्ड सिंचाई प्रणाली से नमक रिज के ऊपर जमा हो जाता है। नमक या सोडियम संबंधी मिट्टी का प्रबंधन लंबी अवधि के लिए मिट्टी की सतह पर पानी की बड़ी मात्रा इकट्ठा करके किया जा सकती है ताकि पानी मिट्टी में नीचे की ओर लवणों की लीचिंग हो सके। आयताकार क्यारियां 30 से 50 सेमी ऊंची मेड़ बनाकर उसमें लंबे

समय तक पानी भर करके लवण की समस्या को कम किया जा सकता है।

फव्वारा सिंचाई : पानी देने की नियंत्रित दर होने के कारण सतह सिंचाई की तुलना में नमक संचय फव्वारा सिंचाई में कम होता है। फव्वारा सिंचाई में पानी सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से जबकि सतह सिंचाई पद्धति में ज्यादा पानी दरारें और स्थूल छिद्रों के माध्यम से जमीन के अन्दर जाता है।

ड्रिप सिंचाई : ड्रिप सिंचाई नमक या सोडियम संबंधी पानी के लिए बेहतर प्रबंधन में कुशल है। ड्रिप सिंचाई पद्धति में पानी लगातार जड़ क्षेत्र को गीला बनाए रखता है जिसके कारण उच्च मैट्रिक्स क्षमता और कम नमक संचय हो पाता है और अलग से लीचिंग की जरूरत नहीं रहती है।

ताजा और खारा जल का संयुक्त उपयोग : कहीं–कहीं अच्छी गुणवत्ता वाला पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण अधिकतम फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक रणनीति के तहत मध्यम लवणता की सिंचाई का पानी प्राप्त करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले पानी के साथ उच्च लवणता वाले पानी का मिश्रण फसल के मौसम में इस्तेमाल के लिए लिया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले पानी को अधिक महत्वपूर्ण चरणों में फसल की अच्छी वृद्धि के लिए सिंचाई में इस्तेमाल लिया जा सकता है जैसेकि अंकुरण के समय और उच्च लवणता वाले पानी को फसल की उच्च सहिष्णुता के समय काम में लिया जाना चाहिए।

खारा पानी के उपयोग में सावधानियां

- सिंचाई का जल फसल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में लागू किया जाना चाहिए जिसके कारण जड़ क्षेत्र में एकत्रित अधिशेष लवण पानी के साथ नीचे चले जाएं।
- बुवाई से पहले प्रचुर सिंचाई करके अतिरिक्त लवणों की विशेष रूप से लीचिंग कर देनी चाहिए।
- मिट्टी बलुई या रेतीली,छिद्रपूर्ण और पारगम्य होनी चाहिए जिससे कि लीचिंग ऑपरेशन आसानी से हो सके। दोमट मिट्टी में लीचिंग आसानी से नहीं होने के साथ–साथ तेज दर से खारी हो जाने की संभावना भी रहती है।
- वाष्पीकरण प्रकिया को कम किया जाना चाहिए। यदि यह अनियंत्रित रहती है तो नीचे से पानी के साथ नमक जड़ क्षेत्र में पुनर्भरण होगा।
- जमीन में जल–स्तर नीचा होना चाहिए जिसके कारण जल निकास आसानी से हो सके और उस क्षेत्र में पानी और नमक की रिचार्जिंग न हो पाए।
- भूमि ठीक से वर्गीकृत और समतल होनी चाहिए।
- मिट्टी की भौतिक स्थिति जुताई और अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ मिला करके अच्छी बनाए रखनी चाहिए।
- यदि सिंचाई पानी में सोडियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण फसलों को नुकसान हो रहा हो तो मिट्टी में चूना मिला देना चाहिए।
- फसल के लिए उर्वरक आवेदन की एक संतोषजनक और संतुलित अनुसूची फसलों के अनुकूल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डालनी चाहिए।
- बुवाई के लिए नमक सहिष्णु फसलों का ही चयन करना चाहिए।

(लेखक मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़ में कार्यरत हैं।)
ई–मेल : hariagro@gmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

पौष्टिकता से भरपूर कटहल

साधना यादव

कटहल के अंदर कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जैसे विटामिन ए, सी, थाइमिन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, नियासिन और जिंक आदि। इस फल में खूब सारा फाइबर पाया जाता है। साथ ही इसमें बिल्कुल भी कैलोरी नहीं होती है। कटहल ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। इसलिए हार्ट के मरीजों के साथ ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी इसका सेवन करना चाहिए। इसमें काफी आयरन पाया जाता है। इस वजह से इसका सेवन करने से एनीमिया की समस्या दूर हो जाती है। कटहल का सेवन करने से शरीर का थायराइड नियंत्रित रहता है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए कटहल काफी कारगर माना जाता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम हड्डी में मजबूती लाता है। कटहल में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। इसमें विटामिन सी और ए भरपूर होने की वजह से इसका सेवन करते रहने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।

कटहल का नाम सुनते ही मन–मस्तिष्क पर एक भारी–भरकम फल की छवि उभर कर सामने आती है। यह हर किसी का प्रिय फल है। कच्चे कटहल को सब्जी के रूप में और पके हुए कटहल को फल के रूप में खाया जाता है। इस लोकप्रिय फल को अलग–अलग नामों से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में जैकफ्रूट, मराठी में फणस, मलयालम में चक्क के नाम से जाना जाता है। हिंदीभाषी इलाके में इसे सिर्फ और सिर्फ कटहल ही कहते हैं। यह पेड़ पर उगने वाला सबसे बड़ा फल है जो शहतूत परिवार के आर्टोकार्पस नामक वंशावली से आता है। यह फल दक्षिण एवं पूर्वी–दक्षिण एशियाई देशों का मूल निवासी है। यह भारत के साथ ही बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी पैदाइश भारत के दक्षिण क्षेत्र केरल में हुई है। पूर्वी अफ्रीका और ब्राजील जैसे अन्य देशों में भी यह फल बहुत पसंद किया जाता हैं। भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल कटहल विश्व में सबसे बड़ा होता है। कटहल का वृक्ष शाखायुक्त, सपुष्पक तथा बहुवर्षीय वृक्ष है। फल की बाहरी सतह पर छोटे–छोटे कांटे पाए जाते हैं। इस प्रकार के संग्रन्थित फल को सोरोसिस कहते हैं। कटहल का फल मुख्य तना से लगना शुरू होता है और पूरी टहनियां फल से लद जाती हैं। कई बार कटहल का फल जड़ों में भी लगता है। मिट्टी के ऊपर जड़ के साथ ही मिट्टी के

अंदर भी जड़ में फल लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की जड़ के पास दरारें पड़ जाती हैं। हालांकि मिट्टी के अंदर जड़ में फल लगने के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन टहनियों पर फल पर्याप्त मात्रा में लगते हैं। इसकी जड़, छाल और पत्ते दवा के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं जबकि फल कच्चे–पक्के दोनों तरह से खाए जाते हैं। कटहल की सब्जी, पकोड़े या अचार लोगों का मनपसंद होता है। जब यह पक जाता है तब इसके अंदर के मीठे फल को खाया जाता है जोकि बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है।

कटहल के अंदर कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जैसे विटामिन ए, सी, थाइमिन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, नियासिन और जिंक आदि। इस फल में खूब सारा फाइबर पाया जाता है। साथ ही इसमें बिल्कुल भी कैलोरी नहीं होती है। पके हुए कटहल के गूदे को अच्छी तरह से मैश करके पानी में उबाला जाए और इस मिश्रण को ठंडा कर एक गिलास पीने से जबर्दस्त स्फूर्ति आती है। यह हार्ट के रोगियों के लिए भी अच्छा माना जाता है। साधारण शर्करा जैसे, फ्रक्टोज और सुकरोज तुरंत ऊर्जा देते हैं। इस शर्करा में बिल्कुल भी जमी हुई चर्बी और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। सब्जी के तौर पर खाने के अलावा कटहल के फलों का अचार और पापड़ भी बनाया जाता है। पका हुआ फल वास्तव में एक टॉनिक की तरह कार्य करता है। ऐसी मान्यता है कि जंगलों में जब कोई चीज़ खाने को नहीं होती थी तो आदिवासी इसे अपना प्रमुख भोजन मानते थे। प्राचीनकाल में लड़ाई के वक्त जब सेना का राशन खत्म हो जाता था तो सैनिक कटहल खाकर महीने–महीने भर लड़ाई लड़ते रहते थे।

कटहल के स्वास्थ्य लाभ

हार्ट समस्या दूर करे – कटहल में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करते रहने से हार्ट की समस्या दूर होती है। हार्ट के मरीजों को सीजन में कटहल का सेवन करना चाहिए।

ब्लड प्रेशर – कटहल ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। इसलिए हार्ट के मरीजों के साथ ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी इसका सेवन करना चाहिए। हां, इस बात का ध्यान रखें कि इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। थोड़ा–थोड़ा करके अलग–अलग दिन खाते रहने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है।

एनीमिया – इसमें काफी आयरन पाया जाता है। इस वजह से इसका सेवन करने से एनीमिया की समस्या दूर हो जाती है। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों को एनीनिया की शिकायत रही हो वह दूसरे अचारों के बजाय कटहल का अचार खाएं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें ज्यादा मसाला नहीं होना चाहिए।

अस्थमा – कटहल अस्थमा के मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है। कटहल की जड़ पानी में उबाल कर पीने से अस्थमा में राहत मिलती है। कटहल के पेड़ के पास खुदाई करें, ऐसे में इसकी पतली–पतली जड़ें मिल जाएंगी, जिन्हें काट लें और फिर उन्हें धुलने के बाद पानी में उबाल कर सेवन करें। सप्ताह भर में फायदा नजर आने लगेगा।

थायराइड – कटहल का सेवन करने से शरीर का थायराइड नियंत्रित रहता है। इसमें मौजूद सूक्ष्म खनिज और कॉपर थायराइड चयापचय के लिए प्रभावशाली होते हैं। यह हार्मोन के उत्पादन और अवशोषण के लिए अच्छा माना जाता है।

हड्डियों की मजबूती – हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए कटहल काफी कारगर माना जाता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम हड्डी में मजबूती लाता है तथा भविष्य में ऑस्टियोपुरोसिस की समस्या से निजात दिलाता है। इसलिए जिन लोगों को जोड़ों में

दर्द की शिकायत हो, उन्हें कटहल का सेवन जरूर करना चाहिए।

रोग प्रतिरोधक – कटहल में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। इसमें विटामिन सी और ए भरपूर होने की वजह से इसका सेवन करते रहने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यह बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन से बचाता है। यह शरीर के सुरक्षा तंत्र को सशक्त बनाता है और सफेद रक्त कोशिकाओं को संचालित करने में सहायक होता है। कटहल की एक फली में आपको प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है जोकि शरीर की सभी कार्य प्रणालियों को अनुरक्षित रखता है।

पाचन शक्ति– कटहल में पर्याप्त रेशा होने की वजह से यह पाचन शक्ति बढ़ाने में भी कारगर है। यह कब्ज की परेशानी से राहत देता है और आंतों की म्यूकस परत को सुरक्षित रखता है।

अल्सर – कटहल खाने से अल्सर और पाचन संबंधी समस्या से निजात मिल जाता है। इसमें फाइबर भरपूर होता है। ऐसे में कब्ज की समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। इसी तरह कटहल की पत्तियों की राख अल्सर के इलाज के लिए बहूपयोगी होती है। कटहल की 4–5 सूखी पत्तियों को लेकर चूर्ण बना कर खाने से अल्सर में फायदा मिलता है

स्फूर्ति उत्पादन – कटहल में ग्लूकोस जैसे तत्त्व होने के कारण इसका सेवन करने से शरीर को तुरंत स्फूर्ति और शक्ति मिलती है। यह फल वसारहित है और हर वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्यकर है।

आंखों की रोशनी बढ़ाए – कटहल में विटामिन ए पाया जाता है। ऐसे में यह आंखों तथा त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और स्किन की चमक भी लौटती है।

सूजन – कच्चे कटहल के छिलकों से निकलने वाला दूध गांठनुमा सूजन, कटे हुए स्थानों या घावों पर लगाने से यह जल्दी ठीक होते हैं। इसके अलावा कटहल के पेड़ का दूध ग्रंथियों की सूजन पर लगाने से आराम मिलता है। कच्चे फोड़े पर भी लगा सकते हैं। ये उन्हें जल्दी पकाकर मवाद बाहर निकाल देगा।

आंव में फायदेमंद – यदि खूनी आंव की शिकायत हो तो कटहल की जड़ को घिसकर पीने से फायदा मिलता है।

चर्म रोग – कटहल के नए पत्तों को पीसकर दाद, खाज, खुजली वाले स्थान पर लगाने से फायदा मिलता है। दाद होने पर इसका नियमित सेवन करना फायदेमंद होता है।

मंजन के रूप में – कटहल के फूलों का चूर्ण बनाकर मंजन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग करने से मुंह के घाव में भी फायदा मिलता है। साथ ही मसूड़ों को ताकत मिलती है।

सर्प दंश – किसी को अगर सांप काट ले तो उसे कटहल की सब्जी खिलानी चाहिए। यह सांप के विष का असर कम कर देती है।

पित्त रोग – दुबले–पतले पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को पका कटहल दोपहर में खाकर कुछ देर आराम करना चाहिए।

गले के रोग – कटहल के वृक्ष की कलियां कूट कर गोली बना लें। इस गोली को चूसने से स्वभंग व गले के रोग में फायदा होता है।

सावधानियां

- पका कटहल का फल कफवर्धक है। अतः सर्दी–जुकाम, खांसी, अर्जीण, गुल्म, दमा आदि रोगों से प्रभावित व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं को कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए।

100 ग्राम कच्चे कटहल में मौजूद तत्व	
ऊर्जा	397 जूल (95 किलो कैलोरी)
कार्बोहाइड्रेट	23.25 ग्राम
शूगर	19.08 ग्राम
आहार फाइबर	1.5 ग्राम
फैट	0.64 ग्राम
प्रोटीन	1.72 ग्राम
विटामिन ए	5 ग्राम (1 फीसदी)
बीटा कैरोटीन	61 ग्राम (1 फीसदी)
थाइमीन (बी 1)	0.105 मिलीग्राम (9 फीसदी)
राइबोफ्लेविन (बी 2)	0.055 मिलीग्राम (5 फीसदी)
नियासिन (बी 3)	0.92 मिलीग्राम (6 फीसदी)
पैंटोथेनिक एसिड (बी 5)	0.235 मिलीग्राम (5 फीसदी)
विटामिन बी 6	0.329 मिलीग्राम (25 फीसदी)
फोलेट (बी 9)	24 ग्राम (6 फीसदी)
विटामिन सी	13.7 मिलीग्राम (17 फीसदी)
विटामिन ई	0.34 मिलीग्राम (2 फीसदी)
कैल्शियम	24 मिलीग्राम (2 फीसदी)
आयरन	0.23 मिलीग्राम (2 फीसदी)
मैग्नीशियम	29 मिलीग्राम (8 फीसदी)
मैगनीज	0.043 मिलीग्राम (2 फीसदी)
फास्फोरस	21 मिलीग्राम (3 फीसदी)
पोटेशियम	448 मिलीग्राम (10 फीसदी)
सोडियम	2 मिलीग्राम
जिंक	0.13 मिलीग्राम (1 फीसदी)

स्रोत– यूएसडीए डाटाबेस

- कटहल खाने के बाद पान खाने से पेट फूल जाता है और अफरा होने का डर रहता है

किचन में कटहल

कटहल को कई रूपों में खाया जाता है। इसके व्यंजन बड़े स्वादिष्ट होते हैं। इसमें थोसा–सा मसाला प्रयोग करके इसके स्वाद का मजा लिया जा सकता है। इसकी सब्जी से लेकर कोफ्ता व अचार बड़ा ही स्वादिष्ट होता है।

शाकाहारी भी ले सकते हैं मांसाहार का स्वाद

कटहल के जरिए शाकाहारी भी मांसाहार का स्वाद ले सकते हैं। हालांकि आमतौर पर कटहल की सब्जी बहुत ही साधारण तरीके से बनाई जाती है। लेकिन कुछ लोग इसे मांसाहार का स्वाद देने के लिए अधिक मसाले में भून कर पकाते हैं। ऐसे में इसका स्वाद एकदम मांसाहार जैसा हो जाता है। इसके लिए पहले कटहल को छिलने के बाद उसके टुकड़ों को तेल में फ्राई कर लें। फिर उसे बाहर निकालें। तरी तैयार करने के लिए प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट तैयार करें। इसे तेल में हल्का भूनें और गरम मसाले के साथ तरी को पका लें। गरम मसाले को पकाने के बाद फ्राई किया हुआ कटहल उसमें डाले। हल्का पकाने के बाद चूल्हे से उतार दें और फिर ऊपर से एक चम्मच देशी घी डाल सकते हैं। इसके बाद गर्मागर्म परोसे। एकदम इसका स्वाद मांसाहार की तरह आएगा।

कटहल का कोफ्ता

कटहल का कोफ्ता बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। इसे बनाने के लिए कोई अलग से सामग्री की भी जरूरत नहीं होती है। बस किचन में मौजूद सब्जी के सामान से ही कोफ्ता तैयार हो जाता है। मसलन आपके पास आधा किलो कटहल है तो दो आलू, दो हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक, एक बड़ा चम्मच बेसन व एक चम्मच तेल व नमक की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा तरी के लिए टमाटर व पिसे हुए मसाले की जरूरत पड़ती है। कटहल का कोफ्ता बनाने के लिए उसे धोने के बाद कटहल और आलू को प्रेशर कूकर में उबाल लें। एक सीटी आने के बाद इसे बाहर निकाल कर ठंडा करें। फिर आलू मसल लें। कटहल, आलू, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, नमक और अरारूट या बेसन सभी को अच्छी तरह मिलाने के बाद कढ़ाई में तेल गरम कर कोफ्ते को तल लें। फिर टमाटर व मसाले से तैयार करी में इसे डालकर ढक दें।

कटहल का अचार

कटहल की सब्जी तो बेहद स्वादिष्ट बनती ही है। आधा किलो कटहल में 100 ग्राम सरसों का तेल, चुटकी भर हिंग, स्वादानुसार नमक, एक छोटा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च की जरूरत पड़ती है। छिले हुए कटहल को एक कप पानी में कूकर में उबाल लें। कढ़ाई में तेल गरम कर पिसी हुई हींग डाल कर चलाएं। हल्दी, नमक, लाल मिर्च, पीली सरसों और कटहल के टुकड़े डालकर सबको अच्छे से मिला लें। कटहल का अचार बन गया है। तैयार अचार को किसी साफ और सूखे कंटेनर में भर कर रख लें। 3 दिन तक अचार को दिन में एक बार चम्मच से जरूर चलाते रहे। इतने समय में ये खट्टा होकर अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर जब भी आपका मन करे इसे निकाल कर खा लें।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : skynpr@gmail.com

सफलता की कहानी

धान उत्पादन में विश्व रिकार्ड बनाया

नवनीत रंजन

बिहार के किसान सुमंत कुमार ने धान उत्पादन में विश्व रिकार्ड तोड़ दिया। उन्होंने चीन की ओर से धान उत्पादन में बनाए गए रिकार्ड के मुकाबले प्रति हेक्टेयर 22.4 टन धान की उपज लेकर यह विश्व रिकार्ड अपने नाम किया है। सुमंत की इस उपलब्धि पर पूरा देश इतरा रहा है। किसानों के इस गांव में अब जर्मनी की टीम खेती पर फिल्म बना रही है। यह डाक्यूमेंट्री फिल्म खासतौर से सुमंत कुमार की श्री विधि से की गई धान की खेती पर आधारित है। सुमंत के इस प्रयोग के बाद अब पूरे इलाके के लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे हैं। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भी उन्हें सम्मानित किया है।

हमारे बीच रहने वाले कुछ लोग नया, अलग करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को समाज ही नहीं समूची दुनिया सलाम करने में पीछे नहीं रहती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया बिहार के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव दरवेशपुरा के किसान सुमंत ने। सुमंत ने धान की पैदावार का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है कि उसे सुन कर खेती के जानकारों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। अब स्थिति यह है कि न सिर्फ सुमंत का नाम पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया है बल्कि धान उत्पादन मे विश्व रिकार्ड कायम करने वाले देश के वैज्ञानिक भी उनके दरवाजे पर आकर जानकारी हासिल कर रहे हैं। इतना ही नहीं अब उन पर फिल्म भी बनाई जा रही है। सुमंत कहते हैं कि जमीन से मिलने वाली पैदावार की कोई सीमा नहीं है। उन्हें भी इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों ने उनकी आंखें खोल दी। वैज्ञानिकों के बताये रास्ते पर चलते हुई ही उन्होंने धान की

पैदावार के जरिए विश्व रिकार्ड कायम किया है। पहले यह रिकार्ड चीन के नाम था। हालांकि चीन ऐतराज भी जता रहा है, लेकिन भारत इस उपलब्धि पर गदगद है।

साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुमंत की ओर से धान उत्पादन बनाने में कायम किए गए रिकार्ड की खबर अमेरिका के गार्जियन अखबार ने छापी। गार्जियन के पर्यावरण संपादक जॉन विडाल ने लिखा है कि किसान सुमंत कुमार के खेत में प्रति हेक्टेयर 22.4 टन उपज हुई है। इसके बाद तो दरवेशपुरा गांव में अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों, स्वंयसेवी संस्थाओं और मीडिया का जमावड़ा होने लगा।

सुमंत कुमार ने इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद नौकरी करनी चाही। उन्होंने एक कंपनी में टेक्सटाइल सुपरवाइजर की नौकरी की। कुछ दिन काम करने के बाद उनका मन यहां नहीं लगा। वह खेती में नया–नया प्रयोग करना चाहते थे। उन्हें खेत की हरियाली पसंद थी न कि कारखानों में चिघाड़ती मशीनें। सुमंत कहते हैं कि नौकरी करने के दौरान उनका मन व्यथित रहता था। वह यही सोचते थे कि जब गांव के दूसरे लोग खेती कर रहे हैं और अपने पास खेत भी है तो फिर नौकरी क्यों करनी चाहिए। काफी सोच–विचार के बाद नौकरी छोड़ दी और खेती में जुट गए।

किसान सुमंत कुमार बताते हैं कि इस बात का पता भी नहीं था कि धान की पैदावार का भी कोई रिकॉर्ड होता है। वह तो कृषि वैज्ञानिकों की ओर से बताई गई तकनीक अपनाई। वैज्ञानिकों की बताई तकनीक उन्हें समझ में आई। उन्हें लगा कि जब पढ़े–लिखे लोग, जिन्हें खेती की पूरी विशेषज्ञता हासिल है, वह जो बात बता रहे हैं उसमें कोई न कोई तो खास बात होती है। इसी धारणा को मानते हुए खेती शुरू की। वैज्ञानिकों ने कहा कि वह श्री विधि से खेती कराएंगे। यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन फिर तसल्ली से वैज्ञानिकों से पूरी बात की तो पता चला कि बीजों की तैयारी, बुआई और सिंचाई में पारंपरिक तरीके से अलग तरह की खेती की पद्धति अपनाने वाली इस विधि को सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसीफिकेशन (श्री विधि) कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग दिन ब–दिन बढ़ते खर्च और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इस विधि में पौध के रोपण, बीज की तैयारी, पौध की उम्र और सिंचाई का तरीका पारंपरिक तरीके से अलग होता है। इस विधि को 80 के दशक में विकसित किया गया था और गेंहू और अन्य फसलों में भी अपनाया जा सकता है। पारंपरिक तरीके में धान के कई पौधे एक साथ रोपे जाती है जबकि नए तरीके में एक–एक पौधे को अलग–अलग रोपा जाता है। सुमंत कुमार के लिए नई विधि नए जीवन की तरह थी। वैज्ञानिकों के सहयोग से उनका यह तरीका कामयाब रहा। जब गांव के लोगों ने फसल तोली तो बाहर की दुनिया को यकीन नहीं हुआ। इसके बाद बिहार सरकार के एक कृषि विज्ञानी ने स्वयं सुमंत कुमार की फसल तोलकर रिकॉर्ड की पुष्टि की। सुमंत बताते हैं कि खेती में उन्होंने वैज्ञानिकों के बताए अनुसार ही खाद का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा हरी खाद और ऑर्गेनिक खाद का उपयोग हुआ है। दरवेशपुरा के अन्य किसान भी जैविक खादों का ज्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं। इस वजह से उन्हें गोबर की खाद के पड़ोस के गांवों से भी खरीदना पड़ता था। सुमंत का गांव पूरी तरह से खेतिहरों का गांव है। उनके गांव के ज्यादातर लोग खेती करते रहे हैं।

उनके पिता रामानुज प्रवीण का भी खेती से बेहद लगाव रहा है। इस गांव में एक तरह से खेती को लेकर प्रतिस्पर्धा रही है। हर किसान नई तकनीक और नया रिकार्ड कायम करने की ताक में रहता है। इस वजह से किसी न किसी बहाने इस गांव में कृषि वैज्ञानिकों एवं अफसरों का आना–जाना लगा रहता है। सुमंत बताते हैं कि इस गांव के राजेंद्र सिंह ने साल 1964 में मिर्च की खेती कर एक रिकार्ड बनाया था। साथ ही आलू और तरबूज की खेती के लिए भी उनका गांव ही नहीं आसपास का पूरा इलाका मशहूर रहा है। इस वजह से बचपन से ही वह खेती के प्रति

काफी आकर्षित रहे हैं। सुमंत कहते हैं कि आज खेती की वजह से उनका पूरा परिवार खुशहाल है। मान–सम्मान के साथ ही आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी बने हैं। उनके परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा–दीक्षा मिल रही है। उनकी कोशिश है कि बच्चों को कृषि वैज्ञानिक बनाएं, ताकि वे देश के किसानों का दुख–दर्द निवारण कर सकें। किसानों को जागरूक करके उन्हें कम लागत में अधिक मुनाफा दिला सकें। वह कहते हैं कि अपने स्तर पर वह खुद इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। वे बताते हैं कि सरकार की ओर से ढेर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। कुछ किसान इसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन तमाम किसान खेती को घाटे का सौदा मानने लगते हैं। इसमें सरकार से कहीं ज्यादा गलती किसानों की है। किसानों को चाहिए कि वह सरकारी कार्यालयों में जाएं, कृषि वैज्ञानिकों के पास जाएं और अपने लिए आने वाली योजनाओं का लाभ उठाएं। वह कहते हैं कि जिस दिन हमारे देश का किसान जागरूक हो जाएगा, उसी दिन भारत हर तरह से खाद्यान्न उत्पादन में नंबर एक पर होगा। दूसरे देशों ने खाद्यान्न उत्पादन में जो भी रिकार्ड बनाए हैं धान की तरह अन्य फसलों के उत्पादन का भी रिकार्ड टूट जाएगा।

रिकॉर्ड का पूरे गांव को मिला फायदा

सुमंत कहते हैं कि खेती के प्रति गांव के लोगों का गहरा लगाव होने की वजह से आए दिन किसी न किसी खेती के लिए इस गांव ने रिकार्ड कायम किए। ऐसी स्थिति में अफसरों से लेकर नेताओं तक का गांव में आना–जाना रहा। इसका फायदा यह हुआ कि गांव में विकास भी खूब हुआ। गांव में बिजली, सड़क, पानी आदि सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हो गई हैं। इसका फायदा पूरे गांववालों को मिल रहा है।

अब दूसरे किसानों को देते हैं ज्ञान

सुमंत कुमार धान में रिकॉर्ड कायम करने के बाद अब अपने पूरे इलाके के किसानों को रिकार्ड बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वह सुबह उठ कर खेतों में पहुंच जाते हैं। किसानों के बीच वह जानकारी बांटते हैं। किसानों के सवालों का जवाब देने के साथ ही मन में उठ रही शंकाओं का एक–दूसरे से चर्चा करके समाधान भी करते हैं। सुमंत बताते हैं 2010 में तीन किसानों ने श्री विधि से धान की खेती शुरू की थी। 2011 में जिस साल रिकॉर्ड बना उस साल 13 किसानों ने इस विधि को अपनाया था और अब पूरे इलाके में इसी विधि से खेती की जा रही है। वह बताते हैं कि इस विधि से खेती करने पर लागत पहले के मुकाबले लगभग आधी आती है। वहीं उपज दुगुना तक हासिल हो जाती है। किसान धान के साथ ही इस तकनीक के जरिए आलू, गेहूं व अन्य फसलों को भी उगा रहे हैं। दरअसल श्री विधि इस इलाके के लिए इसलिए भी कारगर है क्योंकि जमीन पर पानी नहीं रुकता है। वैज्ञानिकों ने इस विधि को खासतौर से ऐसे ही इलाके के लिए तैयार किया है।

आलू पर किया नया प्रयोग

सुमंत कुमार बताते हैं कि खेती में प्रयोग करना उनकी आदत है। इस वजह से अब आलू की खेती में नए–नए प्रयोग कर रहे हैं। इस बार उन्होंने आलू की दो पंक्तियों को मिलाकर क्यारियों के बीच दूरी बढ़ा दी। इसके पीछे मकसद था कि क्यारियों के बीच ज्यादा पौधे रोपे जा सकें। यह प्रयोग काफी हद तक सफल साबित हुआ है। आलू की उपज अच्छी मिली है। इसे आगे बड़े पैमाने पर करने की कोशिश की जाएगी।

मिला सम्मान तो खिला चेहरा

धान उत्पादन में रिकॉर्ड कायम करने वाले सुमंत को 15 जनवरी, 2013 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कृषि कर्मण अवार्ड का प्रशस्ति–पत्र और एक लाख रुपये का चेक देकर सम्मानित किया। धान उत्पादन के रिकॉर्ड के लिए सुमंत कुमार को वहां मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी सम्मानित कर चुके हैं। भटिंडा में 'खेती विरासत मिशन' द्वारा आयोजित 'नेचुरल फार्मिंग एंवायरमेंटल वेजीटेबल' कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस उपलब्धि के लिए सुमंत के खाते में सैंकड़ों

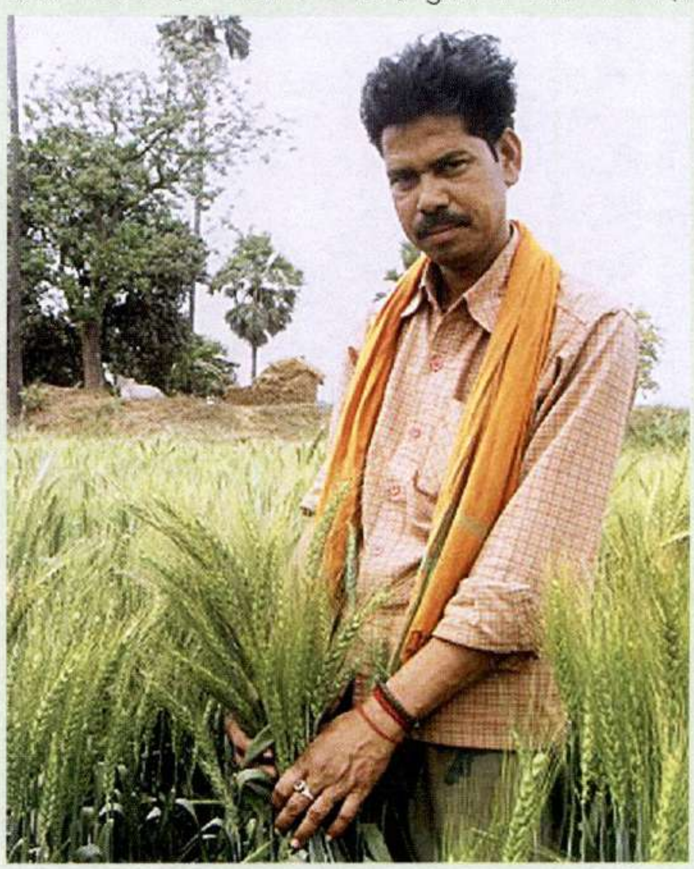

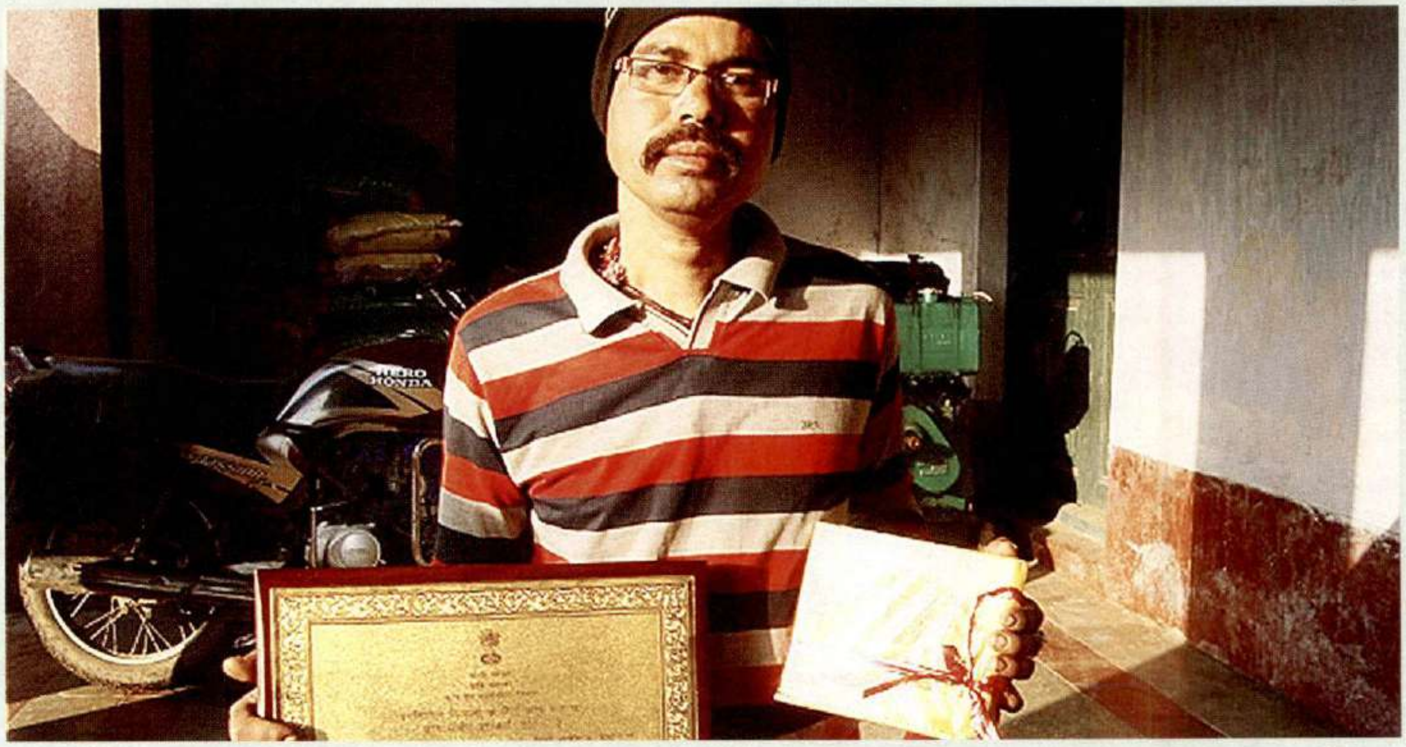

सम्मान–पत्र हैं। उन्हें जिले से लेकर राज्य–स्तर पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। सुमंत कहते हैं जब किसी समारोह में उन्हें यह सम्मान मिलता है तो उनका चेहरा खिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे सालों की मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। उन्होंने उत्पादन अधिक लेकर अपना काम किया, लेकिन खुद के साथ ही उनके गांव और देश का नाम हो रहा है, यह एक बड़ी उपलब्धि है।

सुमंत पर बन रही है फिल्म

बिहार के नालंदा जिले के किसान सुमंत कुमार द्वारा धान के उत्पादन में विश्व रिकार्ड बनाए जाने के बाद जर्मनी की आठ सदस्यीय टीम उनसे खेती के गुर सीखने दरवेशपुरा गांव पहुंची। यह टीम यहां के किसानों के रहन–सहन पर एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म भी बना रही है। जर्मनी की टीम में शामिल मिस वेटिना वेज ने बताया कि धान के उत्पादन में विश्व रिकार्ड बनाने वाले कतरी सराय प्रखंड के दरवेशपुरा गांव के रहने वाले सुमंत कुमार के विषय में उन्होंने जर्मनी में सुना। वह यह जानने आई कि आखिर सुमंत ने ऐसा क्या नया किया, जिससे पहले का रिकार्ड टूट गया। खेती के पहलू पर डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है। इसका मूल मकसद जर्मनी के लोगों को कृषि के लिए बेहतर जानकारी देना है।

चीन ने जताया विरोध

भारत ने बिहार के किसान सुमंत की ओर से बनाए गए रिकार्ड पर गौरवान्वित महसूस किया, लेकिन जब गार्जियन सहित विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में इस रिकार्ड को उजागर किया तो चीन ने विरोध किया। चीन के फादर ऑफ राइस हाइब्रिड के नाम से मशहूर यूआन लौंगपिंग ने नालंदा के किसान सुमंत कुमार के इस कीर्तिमान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बगैर रासायनिक खाद और हाइब्रिड के इतनी पैदावार संभव नहीं है। इस बात पर सुमंत ने सीधा–सा जवाब दिया कि वह अपनी खेती से खुश हैं। उपज का आकलन उन्होंने नहीं किया बल्कि कृषि अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों ने किया है। आज उन पर उनके देश के वैज्ञानिक भरोसा कर रहे हैं यही बड़ी बात है। अभी तक यह रिकार्ड चीन के नाम था। चीन के यूआन लौंगपिंग ने प्रति हेक्टेयर 194 क्विंटल रिकॉर्ड फसल पैदा की थी, लेकिन नालंदा के सुमंत कुमार ने प्रति हेक्टेयर 224 क्विंटल धान का रिकॉर्ड बना कर पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए।

(लेखक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से जुड़े हैं एवं स्वतंत्र लेखन में सक्रिय हैं।)
ई–मेल : navneetranjn955@gmail.com

हमारे आगामी अंक

मई, 2014 – ग्रामीण भारत में कृषि आधारित उद्योग

जून, 2014 – कृषि विकास एवं नई तकनीक

राजस्थान के बाड़मेर में ग्रामीण पर्यटन

पर्यटन के लिहाज से लगभग अछूते राजस्थान के मरुस्थलीय जिले बाड़मेर में ग्रामीण पर्यटन की व्यापक संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। यहां का हस्तशिल्प, संस्कृति, परम्परागत खानपान और रेत के टीलों पर लोकसंगीत के स्वर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सम्बल प्रदान कर सकते हैं। पानी की कमी, यातायात के साधनों का अभाव एवं कठोर जीवनशैली के चलते तीन–चार दशक पहले भले ही इस क्षेत्र की ओर कोई झांकता तक नहीं था, लेकिन हाल के वर्षों में बिजली, कोयला, पेट्रोलियम संसाधनों की उपलब्धता तथा सौर एवं पवन ऊर्जा ने यहां का कायाकल्प कर दिया है। पानी का संकट भी पहले जैसा अब नहीं है। बालू रेत के सुनहरे टीलों पर जैसलमेर एवं बीकानेर के साथ–साथ बाड़मेर में भी आनन्द लिया जा सकता है।

गर्मियों के मौसम में यह स्थान पर्यटन के लिए भले ही आह्लादकारी न हो, लेकिन सर्दियों की छुट्टियां एवं नववर्ष के स्वागत के लिहाज से यह जगह अति उत्तम कही जा सकती है। दिसम्बर में पड़ोसी जिले जैसलमेर में पर्यटकों की भरमार रहती है। विदेशी एवं देशी पर्यटक नया साल मनाने यहां आते हैं। इसके चलते होटलों में ठहरना महंगा हो जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग–15 के समीप हाथीतला में रेत के टीलों का पर्यटक आनन्द उठा सकते हैं। जरूरत है थोड़ा–सा इसे प्रचारित करने की।

लोकसंगीत एवं नृत्य

देश–विदेश में थार के संगीत को प्रसिद्धी दिलाने वाले यहां के लंगा मंगणियार अपनी कला का जादू बिखेर गृह जिले को पर्यटन के मानचित्र पर बखूबी स्थापित करने में सक्षम हैं। कमायचा, रावण हत्था, खडताल, मोरचंग जैसे अनेक वाद्ययंत्रों में महारथ प्राप्त कलाकार सुनहरी रेत पर अपने संगीत की स्वरलहरियां बिखेरते हैं, तो अनायास हर किसी के मुंह से वाह–वाह निकल पड़ता है। ऐसा ही आकर्षण भवाई, गेर, तेरहताली नृत्य अपने आप में समेटे हुए हैं जो दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देते हैं।

देसी खानपान

ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए जैविक उत्पादों से तैयार खाद्य पदार्थों की यहां कोई कमी नहीं है। यहां के पानी में पकने वाली मूंग की दाल, केर–सांगरी, देसी ग्वारफली, कुंमटिया एवं काचरे को मिलाकर तैयार पचकूटे की सब्जी, देसी बाजरे की खिचड़े का लजीज स्वाद अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। यदि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तो प्रायः लुप्त हो रही देसी बाजरी का बीज भी बच जाएगा। उल्लेखनीय है कि संकर बाजरे के मुकाबले देसी बाजरी वजन में हल्की होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के कारण किसान खुद के खाने के लिए ही इसका उत्पादन करते हैं जबकि बाजार में बेचने के लिए संकर बाजरे की पैदावार करते हैं। सही मायने में स्वर्णिम रंग वाली देसी बाजरी ही स्वादिष्ट होती है।

हस्तशिल्प

बरसों पूर्व यहां की महिलाएं खाली समय गुजारने के लिए कशीदाकारी और कपड़े पर बंधेज का काम करती थीं। वह आज शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं का रोजगार बन गया है। फैशनेबल कांच–कशीदा, कुशन कवर, पेचवर्कयुक्त बेडशीट की सम्पन्न लोगों में भारी मांग है। जिले में इस काम में महिला स्वयंसहायता समूह अच्छा कार्य कर रही हैं। जिले के चौहटन, धोरीमना एवं सीमावर्ती छोटे–छोटे गांवों में महिलाएं कपड़े पर कांच लगाकर उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन करती हैं। यहां का नेहरू युवा केन्द्र भी कलाकारों एवं शिल्पकारों को आगे लाने में पूरा सहयोग कर रहा है। यहां के कारीगरों की हाथ की छपाई अजरख, मलीर, घाबू, घोणसार आदि आज सम्पूर्ण देश में बाड़मेर प्रिंट के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहां की ऊंट एवं भेड़ों की ऊन से निर्मित दरी, जिरोई, कालीन, शॉल, पट्टू का कोई मुकाबला नहीं। पर्यटकों की आवाजाही से हस्तशिल्प को बढ़ावा मिल रहा है।

पुरातत्त्व

इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर 12वीं शताब्दी में निर्मित जूना व किराडू के मंदिर हैं। हालांकि यह मंदिर जीर्ण अवस्था में हैं लेकिन खम्भों, दीवारों एवं मेहराबों पर उकेरी मूर्तियां बुलंदी की गाथा स्वयं बयां करती हैं। जबकि बाड़मेर से करीब 90 किलोमीटर दूर देवका में पीले एवं लाल पत्थरों से निर्मित सूर्य मंदिर शानदार नक्काशी और वास्तुकला का अद्‌भुत नमूना है, जिसके गर्भगृह में उगते सूर्य की पहली किरण पड़ती है। यह खगोलीय ज्ञान का सुंदर उदाहरण है।

आवागमन के लिए दिल्ली से जोधपुर होते हुए एवं गुजरात की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 से बाड़मेर पहुंचा जा सकता है। शहर में एक दर्जन अच्छे होटल भी हैं। इनमें दो–तीन में तीनसितारा होटलों जैसी सुविधाएं भी हैं। कुल मिलाकर सरकार की ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर यहां के ग्रामीणों का जीवन–स्तर सुधारा जा सकता है।

(पसूका से साभार)

आर. एन. आई. / 708 / 57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05 / 3164 / 2012–14
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–54 / 2012–14

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2012-14
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54[illegible]12-14
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : ईरा जोशी अपर महानिदेशक (प्रमुख), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना